उ० प्र० प्रोबेशन पर कैदी का उन्मोचन अधिनियम

(1938 का यू० पी० अधिनियम, VIII)

(गवर्नर की सहमति पर 14 सितम्बर, 1983 को प्राप्त किया गया तथा भारत सरकार अधिनियम, 1935 में 24 सितम्बर, 1938 को प्रकाशित एक अधिनियम)

राज्य सरकार द्वारा विहित की गयी शर्तों पर कैदियों को परिवीक्षा पर छोड़े जाने के लिए उपबन्धित किया जाता है—

यतः यह समीचीन है कि वह दण्ड जिसे दिया गया है उसके भोगने के पूर्व कैदियों को निश्चित शर्तों पर प्रोबेशन पर उन्मोचित किया जाए यह इसके द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम यूनाइटेड प्रॉबेशन प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 कहलाएगा;

(2) इसका विस्तार समस्त उ० प्र० में होगा;

(3) यह उस तिथि से प्रवर्तन में आया हुआ माना जाएगा जो तिथि इसमें प्रवर्तन के लिए अधिसूचना द्वारा विहित की जाए।

2. अनुज्ञप्ति पर अधिरोपित शर्तों पर अनुज्ञप्ति द्वारा उन्मोचन की राज्य की शक्ति—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 401 में किसी भी बात के होते हुए भी जहाँ पर एक व्यक्ति कारावास के दण्ड के अधीन निरोधित किया जाता है तथा राज्य सरकार को उसके पूर्ववर्ती आचरण से यह विदित होता है कि वह निरोधित व्यक्ति आपराधिक जीवन से विरत रहकर शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का इच्छुक है तो राज्य सरकार उसे लाइसेंस परमिट पर सरकार के सम्यक् प्राधिकारी के प्राधिकार पर या किसी धर्म निरपेक्ष संस्थान या वह संस्था जो कि उस कार्य का संचालन करती है, जिस धर्म का निरोधित व्यक्ति है तो वह इसके प्रबन्धन पर उन्मोचित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—पदावली कारावास का दण्ड जो कि इस धारा में प्रयुक्त है उसमें जुर्माने के व्यतिक्रम पर कारावास तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय VIII के अधीन प्रतिभूति के मांग पर प्रतिभूति को देने में निष्फलता भी सम्मिलित होगी।

3. अवधि जिस तक लाइसेंस प्रवर्तनीय होगा—धारा 2 के अधीन जारी किया प्रत्येक लाइसेंस उस तिथि तक प्रवर्तनीय रहेगा जब तक कि आदेश का निष्पादन नहीं हो जाता है तथा वह लाइसेंस, जिस पर कि निरोधित व्यक्ति को छोड़ा जाता है उसे रद्द या निलम्बित नहीं कर दिया जाता है।

4. उन्मोचन की अवधि उपशमनित कारावास पर भोगे गए कारावास के रूप में गिनी जाएगी—वह अवधि जिसके दौरान इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार जिस पर कि लाइसेंस प्रदत्त किया गया था, उस कारावास की अवधि को, जो कि भोगा गया है उसे भोगे जाने पर उक्त दण्ड के उपशमन पर कि अवधि से दण्ड का उपशमन माना जाएगा।

5. लाइसेंस का प्रारूप—धारा 2 में उपबन्धों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस ऐसे प्रारूप में होगा जिसमें कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट साधारण या विशेष शर्तें दी जाएंगी।

6. लाइसेंस को निरस्त करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार किसी भी समय कारणों को अभिलिखित करते हुए धारा 2 के अधीन पारित लाइसेंस को रद्द कर सकेगी।

बशर्ते कि कोई भी लाइसेंस सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदत्त किए बिना उपधारा (1) में विहित शर्तों के अतिलंघन पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित रद्दीकरण के आदेश में वह तिथि दी जाएगी जिस तिथि से लाइसेंस का प्रवर्तन समाप्त होगा तथा इसकी तकनीकी राज्य सरकार के विहित प्रारूप पर उस व्यक्ति पर तामील कराया जाएगा जिसको कि यह जारी किया गया था।

7. अभित्यगक का उन्मोचन जो कि दण्ड के प्रबन्धन से बच कर निकल भागता है—(1) यदि कोई भी व्यक्ति सरकार संस्थान या धर्म निरपेक्ष संगठन या सरकार के प्राधिकृत अधिकारी की या वह व्यक्ति जो कि धारा 2 के उपबन्धों के अधीन अभिरक्षा का विषय है या यदि कोई व्यक्ति जिसका लाइसेंस धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रद्द कर दिया गया है वह उस तथ्य को साबित करने में असफल रहता है जिसको कि साबित करने का भार उस पर होगा या आदेश के पर्यावसान के पश्चात् वह मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो वह अनुवर्तित शर्त पर दिए गए कारावास के सिवाय मूल कारावास को भी भोगने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 4(1) के भावाबोध में संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

8. दण्ड के प्रतिप्रेषण की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार अच्छे आचरण के लिए जैसा भी विहित करे उक्त मात्रा की धनराशि में बन्धपत्र निष्पादित कर दिए जाने पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन पारित दण्डादेश के सीमा में किसी भी तरह की कमी या माफी कर सकेगी।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 126-126-क, 514, 514-क, 515 के उपबन्ध उसी तरह लागू होंगे मानों कि वे जैसे कथित संहिता के अध्याय VIII के अधीन वे दी गई प्रतिभूति के मामले में लागू होते हैं।

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति से कथित अधिनियम की धारा 126-क या धारा 514-क के अधीन प्रतिभूति अग्रेषित करने के लिए कहा गया हो तथा वह प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश को निरस्त करते हुए आदेश देगी इस तरह का व्यक्ति गैर पर्यावसित दण्ड भी भोगे।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन उन्मोचित किया गया कोई भी व्यक्ति बन्धपत्र की शर्तों के निक्षेपण में असफल रहता है तो राज्य सरकार यह निर्देश देगी कि उसे पुन: गिरफ्तार कर कारागार में लाया जाए तथा कथित बन्धपत्र के तहत संहिता के अधीन उसके विरुद्ध प्रतिभूति की कार्यवाही सम्पन्न की जाए।

9. नियम बनाने की शक्ति— राज्य सरकार अधिनियम के लिए निम्न नियमों को बना सकती है—

(1) लाइसेंस की शर्त तथा प्रारूप जिस पर कि बंदी उन्मोचित किया जाएगा;

(2) उपधारा (2) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थान में सरकारी अधिकारी की नियुक्ति;

(3) सरकारी अधिकारी की शक्ति तथा कर्तव्यों की परिभाषा जिससे प्राधिकार के अधीन सशर्त उन्मोचित बंदी अभिरक्षित किया गया है;

(4) उन अपराधियों के श्रेणी की परिभाषा जिन्हें कि सशर्त उन्मोचित किया गया है तथा कारावास की अवधि जिसके पश्चात् वे उन्मोचित किए जा सकेंगे;

(5) इस अधिनियम के निर्दिष्ट किए गए आदेश जिसके पश्चात् रद्द लाइसेंस की तामील की जाएगी;

(6) सामान्यतया अधिनियम के सभी प्रयोजनों के प्रभाव का संवहन।

प्रोबेशन नियमों पर कैदियों का छोड़ा जाना

1. नाम—ये नियम प्रोबेशन नियम पर उत्तर प्रदेश के कैदियों के छोड़े जाने के नियम कहे जा सकेंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में जब तक कोई चीज, विषय और सन्दर्भ में प्रतिकूल न हो—

(1) 'अधिनियम' से तात्पर्य प्रोबेशन अधिनियम, 1938 पर उत्तर प्रदेश के कैदियों का छोड़ा जाना।

(2) 'संरक्षक' से तात्पर्य, सरकारी अधिकारी अथवा कैदी के धर्म के समान धर्म को मानने वाला व्यक्ति अथवा धर्म निरपेक्ष संस्था अथवा कैदी के धर्म के समान धर्म की समिति जिसकी देखरेख अथवा प्राधिकार में कैदी राज्य सरकार के प्रसाद प्रपन्न धारा 2 के अधीन छोड़ा जाता है।

उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त प्रोबेशन अधिकारी सहायक समिति यदि हकदार है उस संस्था के प्रति जो कैदी के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, कैदी को उन्मुक्त करेंगे।

(3) 'अधीक्षक' से तात्पर्य उस कारागार के अधीक्षक से है जहाँ तक दोषसिद्ध निरुद्ध है तथा इस नियम के अधीन छोड़ा जाता है।

[1][3. छोड़े जाने के लिए अयोग्यता—निम्न वर्ग के कैदी इस अधिनियम के अधीन नहीं छोड़े जायेंगे—

(अ) जो कि भारतीय दण्ड संहिता की निम्न अध्यायों और धाराओं के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये गये हैं—

अध्याय V-अ VI और VII धारायें 216 अ-224 और 225 (यदि यह मामला जेल से निकल भागने का है) 321, 232 303, 311, 328, 364, 376, 382, 386 से 389, 392 से 402, 413, 459, 460, 589, अ और धारा 511 जो उपरोक्त धाराओं के साथ पढ़ी जायेगी।

(ब) वे जो अधिनियम की धारा 7, 8 के अधीन दोषसिद्ध किये गये हैं अथवा जिनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों के भंग के आधार पर पूर्व में प्रत्याहरित कर ली गयी है।

(स) वे जिनका छोड़े जाने का आवेदन इस अधिनियम की धारा 8 से अन्यथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है।

[2][स्पष्टीकरण—उपबन्ध 'ग' में निहित सिद्धान्त एक कैदी को दूसरी बार धारा 2 के अन्तर्गत उन्मुक्ति के लिए प्रार्थनापत्र देने से मना करता है, परन्तु राज्य सरकार कारावास के महानिरीक्षक को निदेश दे सकता है कि किसी भी ऐसे मामले पर विचार करे जो कि पहले अस्वीकृत हो चुका है जिसका उल्लेख नियम 6 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा पुनः विचार के लिए किया गया है।

[3][3(अ) एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अधीन कम अवधि के या किसी अन्य नियम के अधीन कैदी का कारावास के लिए दण्डादेश अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रोबेशन पर छोड़े के लिए हो सकेगा।

---

1. अधिसूचना संख्या 1155 पी/XXII 1583-46 दिनांक 13 जुलाई, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या 10842 पी०/XXII—1052-54 दिनांक 18-2-79 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना संख्या 1056/XXII—1583—1946 दिनांक 11-7-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] 4. **उन्मुक्ति की अर्हतायें**—नियम 3 में उल्लिखित कैदियों को छोड़कर किसी भी कैदी को राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति पर छोड़ने के लिए चुना जा सकता है।

(i) यदि वह एक ऐसा कैदी है जिसके ऊपर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433, 'अ' लागू होती है और वह कुल 14 वर्ष का कारावास काट चुका है;

(ii) यदि वह ऐसा कैदी है जिसे कि आजीवन कारावास के लिए दण्डित किया गया है तथा जिस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 'अ' लागू नहीं होती है तथा छुट्टी घटाकर कुल 14 वर्ष तक कारावास की अवधि काट चुका है; तथा

(iii) किसी भी अन्य मामले में बिना छुट्टी घटाये यदि वह कारावासित अवधि का 1/3 समय काट चुका है।

5. **दण्ड के संगणना**—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त कारावास के दण्डादेश की संगणना के लिए ध्यान दिये जाएंगे। नामत:

(अ) जब कैदी कई अपराधों के लिए कारावास की अनेक अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया गया हो और कारावास का दण्डादेश समवर्ती क्रम में हो तो तब दीर्घतम एकल दण्डादेश जिसे कैदी ने भोगा है उसके कारावास की अवधि समझी जायेगी।

(ब) जब कैदी कई अपराधों के लिए कारावास की कई अवधियों के लिए दण्डादिष्ट किया गया है और कारावास का दण्डादेश समवर्ती क्रम में है तो कुल अवधि जिसे कैदी ने भोगा है उसके कारावास की अवधि समझी जायेगी।

(स) उसके द्वारा प्राप्त की गयी माफी साधारणतया उसके द्वारा भुगते गये कारावास में गिनी जायेगी।

[2](द) आजीवन कारावास 20 वर्ष के कारावास के दण्डादेश के समान गिना जायेगा।

व्याख्या—व्याख्या 'कारावास का दण्डादेश' इन नियमों में जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम पर कारावास के दण्डादेश को और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय VII के अधीन प्रतिभूति अदा करने की असफलता देश के लिए कारावास को भी सम्मिलित करती है।

[3] 6. प्रक्रिया-(1) अधिनियम की धारा 2 के अधीन छाड़े जाने के लिए योग्य कोई भी कैदी फार्म अ में अधीक्षक को आवेदन कर सकेगा। ऐसा कार्य सरकार के खर्च पर मुद्रित किया जायेगा और कैदियों, उनके रिश्तेदारों और उनके संरक्षकों को मुफ्त दिया जायेगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर अधीक्षक यह देखने के लिए आवेदन की परीक्षा करेंगे कि कैदी और प्रस्तावित संरक्षक ने सम्यक् रूप से भरे जाने वाले कालम को स्वयं भरा है। यदि आवेदन सही है तो अधीक्षक इसे ग्रहण करेंगे और फार्म में अन्तर्विष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि करेंगे। यदि कैदी नियम 3 के अधीन अयोग्य है, वह आवेदन को खारिज कर देंगे और अपने आदेश को कैदी को सूचित कर देंगे। यदि कैदी नियम 4 के अधीन छोड़े जाने के लिए योग्य है तो वह आवेदन में अपने द्वारा भरे जाने वाले कालम को भरेंगे और यथाशीघ्र उसी

---

1. अधिसूचना संख्या 584/XXII 2392 1212 (130) 82 दिनांक 29 जून 1992 (1992(डब्ल्यू० ई० एल० 30 6 92)) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना संख्या 1055 प्रि०/XXII—1:53—46 दिनांक 31 7 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. पूर्वोक्त

रूप में उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास जिसमें कैदी दोषसिद्ध किया गया था, भेजेंगे, यदि आवेदन उचित रूप में नहीं है अधीक्षक इसे आवश्यक संशोधन और लोपों की पूर्ति के लिए कैदी को वापस कर देंगे।

उन दशाओं में जहाँ प्रोबेशन अधिकारी हैं जेल अधीक्षक आवेदन प्रोबेशन अधिकारी को भेजेंगे और उसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे जो कि प्रोबेशन अधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे। प्रोबेशन अधिकारी स्वतन्त्र जाँच करेंगे और अपनी रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित करके निम्न फार्म में सीधे अधीक्षक के पास भेजेंगे।

(1) दोषसिद्ध का नाम.....

(2) दोषसिद्धि की धारा.....

(3) दण्ड.....

(4) संरक्षक से सम्बन्ध.....

(5) अधीक्षकों को उपयुक्तता के बारे में राय (अनुपयुक्तता के मामलों में कारणों सहित).....

(अ) पुलिस.....

(ब) प्रोबेशन अधिकारी.....

(6) छोड़े जाने के सम्बन्ध में सिफारिश (जब छोड़े जाने का विरोध किया जाय तो कारण)—.....

(अ) जेल.....

(ब) पुलिस.....

(स) प्रोबेशन अधिकारी.....

(द) जिला मजिस्ट्रेट का आदेश.....

उपनियम (2) और इस नियम के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट जिसके जिले में कैदी साधारणतया निवास करता है, मामले के सुसंगत निर्णय की प्रमाणित प्रति मुफ्त देने के लिए न्यायालय को प्रेरित करेंगे और यदि आवश्यक हो तो सम्पृक्त पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सम्पर्क करेंगे। निर्णय की प्रति और कैदी के निवास करने वाले जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह निर्णय की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे और अपने द्वारा भरी जाने वाली प्रविष्टियां उसमें भरेंगे और बिना विलम्ब के कारागार के महानिरीक्षक के पास भेजेंगे।

3. (अ) उसके संरक्षक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति धारी में से अन्य संरक्षक की नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ उस जिले के जिला कलेक्टर जिसमें अनुज्ञप्तिधारी निवास करता है मृतक के स्थान पर नये संरक्षक की नियुक्ति के बारे में अपनी राय की उपयुक्तता प्रकट करते हुए मामले को राज्य सरकार के पास निर्दिष्ट करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी अन्य संरक्षक की नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव नहीं भेजेगा, कलेक्टर अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा करेंगे कि ऐसा करने से पूर्व वह सरकार को निर्देशित करे। यदि मृतक के स्थान पर एक संरक्षक प्रस्तावित है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कलेक्टर के आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मृतक के स्थान पर अन्य संरक्षक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा तथा मामला सरकार के आदेश के लिए रिपोर्ट किया जायेगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट फार्म 'सी' में एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें अधीक्षक से उपनियम (2) के अधीन प्राप्त किये गये आवेदन सम्यक् रूप से नोट करेंगे।

[1][(5) कारागार के महानिरीक्षक निरीक्षक द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन निम्न संगठित बोर्ड द्वारा विचार किये जायेंगे।

(1) उत्तर प्रदेश सरकार के जेल विभाग के सचिव जो कि अध्यक्ष होंगे;

(2) उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग विशेष सचिव जो कि सदस्य गृह सचिव द्वारा नामित किये जायेंगे;

(3) न्यायिक सचिव और सदस्य द्वारा नामित उत्तर प्रदेश सरकार के न्यायिक विभाग के विशेष सचिव;

(4) कारागार के महानिरीक्षक .....सदस्य।

[2] टिप्पणी—बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति के लिए तीन सदस्य होंगे।

(6) राज्य सरकार बोर्ड की सिफारिश प्राप्त करने पर ऐसा पारित करेंगे जैसा उचित समझेगी।

(7) राज्य सरकार जिला कलेक्टर द्वारा मृतक के स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी के नये संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर ऐसा आदेश पारित करेंगे जैसा उचित समझेंगे।

7. अनुज्ञप्तिधारी—कैदी जिसके छोड़े जाने की अनुज्ञप्ति सरकार द्वारा मंजूर की गयी है फार्म 'डी' में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी ऐसी अनुज्ञप्ति तीन प्रतियों में प्रत्येक कैदी के लिए तैयार की जायेगी। एक सरकार द्वारा प्रतिधारित की जायेगी और दूसरी कैदी के संरक्षक को देने के लिए अधीक्षक के पास भेज दी जायेगी और तीसरी सूचना के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजी जायेगी।

8. कैदी और संरक्षक को सूचना—सरकार का आदेश प्राप्त करने पर अधीक्षक जल्द से जल्द वह उसी कैदी को सम्पृक्त जिला मजिस्ट्रेट को संसूचित करेंगे और छोड़े जाने के किसी आदेश की दशा में संरक्षक को भी सूचित करेंगे और उसे कैदी के भारसाधन के लिए उपस्थित होने के लिए बुलायेंगे। स्वयं संरक्षक के उपस्थित होने पर अधीक्षक राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति प्रति प्रदान की और फार्म (ब) रजिस्टर में कैदी का भारसाधन लेने के लिए उसके हस्ताक्षर लेंगे।

9. संरक्षक के कर्त्तव्य—संरक्षक का यह देखने का कर्त्तव्य होगा कि अनुज्ञप्ति की सभी शर्तें पूरी हैं वह अनुज्ञप्तिधारी के कल्याण और आचरण के पश्चात् तालित रखेंगे और साधारणतया (Loco Parents) उपस्थित में कार्य करेंगे। यदि अनुज्ञप्तिधारी का आचरण खराब पाया जाता है तो संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि तथ्य को जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

(ब) अनुज्ञप्तिधारी के साथ व्यवहार करते समय संरक्षक जब वह उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त प्रोबेशन अधिकारी है कैदियों को 'सहायता समिति' में छोड़ेगा तथा समिति द्वारा प्रोबेशन अधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए बनाये गये नियमों से राज्य सरकार के अनुमोदन से शासित होगा।

10. प्रत्याहरण (1)—जिला मजिस्ट्रेट संरक्षक से अथवा अन्य स्रोतों से अनुज्ञप्ति की शर्तें के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भंग की सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी को यह कारण दर्शित करने कि क्यों न उसकी अनुज्ञप्ति प्रत्याहरित कर दी जानी चाहिये सूचना देंगे। यदि अनुज्ञप्तिधारी सूचना के प्रत्युत्तर के लिए स्वयं उपस्थित होता है तब उसे व्यक्तिगत रूप से सुनने के पश्चात् और यदि वह स्वयं उपस्थित नहीं होता है तब उसे सुने बिना

---

1 अधिसूचना संख्या 2175-प्रो/XXII—90—2121 दिनांक 21-5-90 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना संख्या 5866/XXII—2-92-2121 दिनांक 8-10-92 द्वारा प्रतिस्थापित।

मजिस्ट्रेट विचार करेंगे कि चाहे राज्य सरकार की सिफारिश से कैदी की अनुज्ञप्ति प्रत्याहरित करने के लिए कार्यवाही करेंगे। अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट शर्तें अथवा शर्त जो कि उनकी राय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माँग की गयी है का कथन करेंगे और कैसे वे भंग की गयी है, का कथन करेंगे।

(2) मामले में जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण की सिफारिश विनिश्चित करेंगे, यदि उनका विचार हो वह उसी समय।

(3) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश प्राप्त करने पर ऐसा आदेश पारित करेगी जो उचित समझे।

(4) अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण का कोई आदेश फार्म E में होगा और अनुज्ञप्तिधारी यदि कारागार में निरुद्ध है, कारागार के अधीक्षक द्वारा दिया जायेगा और यदि कारागार में परिरुद्ध नहीं है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

(5) प्रत्याहरण का आदेश अधीक्षक द्वारा व्यवस्थित किये गये रजिस्टर में नोट किया जाएगा।

(6) यदि कैदी अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाता है और संरक्षक के प्राधिकार और देख-रेख से भाग निकलता है अथवा अपनी अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण का विवरण देने में असफल रहता है संरक्षक तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे और अधीक्षक नजदीकी थाने को रिपोर्ट करेंगे और कैदी के विरुद्ध संज्ञेय मामले की तरह कार्यवाही की जायेगी।

11. सुपुर्दगी का वारण्ट — अधिनियम के अधीन कैदी के छोड़े जाने पर अधीक्षक वारण्ट जो कि न्यायालय द्वारा कैदी को कारागार में सुपुर्दगी के लिये दिया गया था, उसके दण्ड के माफ किये जाने पर प्रतिधारित करेंगे। अवधि जिसमें कैदी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति पर कारागार से अनुपस्थित रहता है उसके दण्डादेश की संगणना के उद्देश्य के भाग के रूप में गिना जायेगा। जब दोषसिद्ध अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाता है दण्डादेश समाप्त करता है अधीक्षक वारण्ट जो न्यायालय द्वारा दिया गया था वापस कर देंगे।

12. अन्तिम रूप से छोड़ा जाना — संरक्षक द्वारा प्रत्याहरित किये जाने से अन्यथा अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्त होने पर संरक्षक तुरन्त अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा कि उसने अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों को ध्यान से देख लिया है और उनके प्रभाव को अनुज्ञप्ति पर नोट कर दिया है और इसे अधीक्षक को वापस कर दिया है।

13. पुलिस में रजिस्ट्रीकृत दोषसिद्ध कैदी — जब कैदी अधिनियम के अधीन छोड़ा जाता है तो वह पुलिस रजिस्ट्रीकृत दोषसिद्ध होगा, कारागार के अधीक्षक उस जिले के पुलिस अधीक्षक, जिसमें ऐसा [illegible] अनुज्ञप्ति पर निवास करता है, को संरक्षक के नाम और पते सहित सूचित करेंगे और उसी समय अनुज्ञप्ति के अन्तिम रूप से छोड़े जाने की तिथि भी सूचित करेंगे। कैदी के अन्तिम रूप से छोड़े जाने पर पुलिस [illegible] पुलिस अधीक्षक के पास भेजी जायेगी।

14. संरक्षक — (1) प्रत्येक मामले में जिला मजिस्ट्रेट अवधारित करेंगे कि क्या प्रस्तावित संरक्षक अपने [illegible] के अनुसार कार्यों के उपयुक्त है और नियन्त्रण की दृष्टि कि वह कैदी पर अभ्यास कर सकता [illegible] संरक्षक को सूचित करना।

(2) कैदी के माता पिता और सम्बन्धी संरक्षक नियुक्त कर सकेंगे यदि जिला मजिस्ट्रेट सन्तुष्ट है कि [illegible] संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त है।

(3) कारागार का कोई अधिकारी जब तक कि कारागार के महानिरीक्षक इसकी मंजूरी न दे संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य न होंगे।

15. दण्डादेश का परिहार—(1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन दण्डादेश के परिहार का कोई भी आवेदन कैदी द्वारा अथवा उस व्यक्ति जिसने दोषसिद्ध होने वाले जिले के जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति दिया है, द्वारा दिया जायेगा अथवा जहाँ वह एक से अधिक जिले में दोषसिद्ध किया गया है, ऐसे किसी भी जिला मजिस्ट्रेट को किया जायेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट कैदी के पूर्ववृत्त और उसके जेल में के आचरण और उसके पर्यावरण पर विचार करेंगे और जहाँ एक प्रोबेशन अधिकारी नियुक्त है और ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें वह उचित समझता है, से परामर्श करने के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर अपनी राय का कथन करते हुए राज्य सरकार के पास भेजेंगे चाहे कैदी अपराध से प्रतिविरत रहता है और कारागार से छोड़े जाने पर शान्तिपूर्ण जीवन यापन कर रहा है।

(3) राज्य सरकार ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर कैदी को उसके बन्धपत्र और ऐसी रकम के एक और प्रतिभूति दिये जाने और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले अच्छे व्यवहार और राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तों को ध्यान से देखने पर छोड़ दिया जायेगा।

(4) यदि कोई कैदी अधिनियम की धारा 8 के उपधारा (1) के अधीन छोड़ा जाता है और बन्धपत्र की शर्तों को ध्यान से देखने में असफल रहता है तो जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 514 के अधीन कार्यवाही कर सकेंगे और अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दण्डादेश के परिहार के लिए पारित किये गये आदेश को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे और राज्य सरकार धारा 8 के उपनियम (3) के अनुसार ऐसा आदेश जो वह उपयुक्त समझे पारित कर सकेगी।

फार्म—(अ)

(नियम 6 और उपनियम (1) देखें)

(कैदी उसके सम्बन्धी और उसके संरक्षक को मुफ्त पूर्ति की जायेगी)

कैदी द्वारा कारागार के अधीक्षक को उत्तर प्रदेश कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़े जाने के अधिनियम, 1938 की धारा 2 के अधीन दिया जायेगा (कैदी और उसके संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)—

(1) कैदी का नाम.....

(2) पिता का नाम.....

(3) जाति .....

(4) निवास.....

(5) प्रस्तावित संरक्षक का नाम

(6) संरक्षक के पिता का नाम

(7) संरक्षक की जाति.....

(8) संरक्षक की आयु

(9) संरक्षक का पता

(10) संरक्षक का व्यवसाय

(11) क्या संरक्षक पढ़ा लिखा है?

कैदी द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़े जाने के अधिनियम, 1938 के अधीन अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के लिए इच्छुक हूँ।

हस्ताक्षर

...............कैदी का................

अंगूठा निशान

दिनांक

संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं समिति के संस्था पक्ष में..उपरोक्त वर्णित कैदी की देख-रेख धारण करता हूँ और उत्तर प्रदेश कैदियों को छोड़े जाने के अधिनियम, 1938 के उपबन्धों का और उनके अधीन बनाये गये नियमों और अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करूँगा।

हस्ताक्षर

...............कैदी का................

अंगूठा निशान

टिप्पणी—यदि प्रस्तावित संरक्षक समिति अथवा कोई संस्था नहीं है तो शब्द कोष्ठक में होंगे।

(जेल के अधीक्षक द्वारा भरा जायेगा)

(1) कैदियों की संख्या..

(2) कैदियों की आयु..

(3) दण्डादेश की तिथि..

(4) दण्डादेश की अवधि..

(5) दण्डादिष्ट करने वाले अधिकारी और केश संख्या..

(6) खण्ड..

(7) यदि आवेदक नियम 3 के अधीन छोड़े जाने के लिए अयोग्य हो तो अधीक्षक अपने हस्त लेख में आवेदन की खारिजी आदेश कारण सहित लिखेंगे और पश्चात्वर्ती स्तम्भों को नहीं भरेंगे ...

(8) कैदी की शारीरिक और मानसिक स्थिति..

(9) जेल में आचरण..

(10) जेल में कैदी को आवंटित कार्य..

(11) कैदी द्वारा जेल में कारित किये गये अपराध और..................उनके लिए दिये गये दण्ड

(12) कारागार में किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्राप्त किया प्रशिक्षण अथवा अर्जित किया गया विशेष व्यवसाय..................

(13) कारागर भुगतान का प्रभाव..

(14) आवेदन की तिथि से जेल में बीतने की अवधि...

(15) (अर्नेड रिमीसन) प्राप्त माफी..

(16) इस नियम के अधीन माफी अनुज्ञात किये जाने के पश्चात् कैदियों के छोड़े जाने की तिथि आवेदन की तिथि पर प्राप्त की गयी माफी पर संगठित किया जायेगा..............................

(17) कैदी को अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाना एडविजिविल है?...

(18) कैदियों को छोड़े जाने के विषय में सरकार को पूर्व में किया गया कोई निर्देश यदि कोई हो या तो स्वयं जेल के अधीक्षक द्वारा अथवा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जायेगा..................

वारण्ट सहित प्रविष्टियों की जांच

दिनांक जेलर | जेल अधीक्षक

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जायेगा)

(1) क्या प्रस्तावित संरक्षक ऐसा कार्य करने के लिए उपयुक्त है?...

(2) कैदी का पूर्ववृत और उसका आचरण यदि वह अपराध से प्रविरत रहने के समान है और यदि वह अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाता है, शान्तिपूर्ण जीवन यापन करेगा.......................................

दिनांक...................... जिला मजिस्ट्रेट..............

[बोर्ड की सिफारिश]

(1) बोर्ड की सिफारिश..............

(2) माह के......................पश्चात् अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के लिए सिफारिश जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम अथवा यदि शीघ्र ही जुर्माने के भाग का भुगतान किया जाता है......................

(3) उपयुक्त संरक्षक उपलब्ध होने पर अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के लिए सिफारिश......................

(4) यदि कैदी का आचरण सन्तोषजनक है, माह के...................पश्चात् अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के लिए सिफारिश......................

(5) कैदी के अंतिम आचरण के ध्यान दिये जाने तक मुल्तवी रखना..................

(6) उपयुक्त संरक्षक के आ जाने तक मुल्तवी रखना..................

(7) खारिजी। संक्षिप्त कारण..

(8) मान्यता प्राप्त संरक्षक का नाम..................

सदस्य | सदस्य | अध्यक्ष

सरकार का आदेश

दिनांक 19 | सरकार के सचिव

दिनांक 19

अध्याय—11

परिवीक्षा पर विमुक्ति

251. परिवीक्षा पर विमुक्ति—(1) यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेसन एक्ट, 1938 (1938 का यू०पी० एक्ट 8) के अन्तर्गत तथा इस एक्ट की निम्नलिखित दो धाराओं के अन्तर्गत अमुक कैदी परिवीक्षा पर विमुक्त होने के लिए योग्य है—

(i) धारा 2 के अन्तर्गत जबकि कैदी संरक्षक की निगरानी के अंतर्गत अपने दण्डादेश के शेष भाग को काटने को सहमत हो जाता है;

(ii) धारा 8 के अन्तर्गत जबकि कैदी अपने अच्छे व्यवहार के लिए तथा उन शर्तों के अनुपालन के लिए जैसी कि राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी, एक अथवा अधिक प्रतिभूतियों के साथ बंधपत्र लिखता है।

(2) उपरोक्त एक्ट के अन्तर्गत निर्मित नियमों में परिशिष्ट 'स' में प्रिंटेड ऐसी विमुक्ति के संदर्भ में आवश्यक सभी निर्देश अन्तर्विष्ट हैं।

252. धारा 8 के अन्तर्गत आवेदन—अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत अनुयोजन में सामान्यतया केवल ऐसे मामले लिये जाते हैं जिनमें दण्डादेश एक वर्ष से अधिक का नहीं है और अपराध गम्भीर प्रकृति का नहीं है। उन मामलों में जिनमें दण्डादेश एक वर्ष से अधिक का नहीं है तथा अपराध गम्भीर प्रकृति का नहीं है यह आवश्यक है कि यथासम्भव सूक्ष्म विलम्ब के साथ आवेदन प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदन के लिए प्रारूप विहित नहीं किया गया है और यह दोषसिद्ध जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट स्वयं संतुष्ट होगा कि आवेदन में सभी आवश्यक विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट हैं। वह यथासम्भव संक्षिप्त समय के अन्दर ऐसी जाँचें करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझता है। कैदी की आयु और आचरण के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट बन्दीगृह अधीक्षक से सीधे विशिष्टियाँ प्राप्त कर सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट अपनी संस्तुति के साथ आवेदन को राज्य सरकार के पास प्रेषित करेगा। जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसे आवेदनों को आयुक्त के महानिरीक्षक के माध्यम से भेजे।

253. अपराध की गणना पर योग्यता—जब एक कैदी बन्दीगृह में प्रस्तुत किया जाता है तो यह तथ्य कि वह अपराध के सम्बन्ध में परिवीक्षा पर विमुक्त होने के लिए योग्य है अथवा नहीं।[1] जिसमें वह दण्डित किया गया है, उसके ऐतिहासिक टिकट पर कैदियों की प्रवेश पंजिका में प्रविष्ट किया जायेगा। प्रविष्टि "आर०पी० के लिए योग्य" अथवा "आर०पी० के लिए योग्य नहीं" में की जायेगी।

254. परिवीक्षा पर विमुक्तियों का रजिस्टर—परिवीक्षा पर विमुक्ति के लिए योग्य कैदियों के नाम परिवीक्षा पर विमुक्तियों के रजिस्टर में भी प्रविष्ट किये जायेंगे और समुचित प्रविष्टियाँ इसमें उपबंधित कॉलमों में की जायेंगी।

[1] देखिये यू०पी० [illegible] प्रोबेशन [illegible] 1938 [illegible] किये गये [illegible]

255. अन्तिम तिथि जबकि अच्छे आचरण पर परिहार ग्राह्य नहीं है—परिवीक्षा पर विमुक्ति के लिए योग्य कैदी के मामले में, जो अच्छे आचरण पर परिहारों का हकदार नहीं है, मामला प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि कारावास की कुल अवधि के 1/3 भाग के समाप्ति की तिथि होगी और उस महीने के अन्तर्गत प्रविष्ट होगी जिसमें ऐसी तिथि पड़ती है और विचारण तिथि को लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है।

256. विचारण तिथि, जबकि अच्छे आचरण पर परिहार ग्राह्य है—ऐसे कैदी के लिए जो परिहार प्रणाली का लाभ प्राप्त करने का हकदार है, विचारण की तिथि नीचे दिये गये अनुदेशों के अनुसार प्रथमतः निश्चित की जायेगी—

(अ) यदि कैदी के दण्डादेश की कालावधि की गणना प्रोबेशन रूल्स के नियम 5 के अनुसार 15 वर्ष अथवा उससे अधिक के समतुल्य की गयी है तो विचारण तिथि वह तिथि होगी जिस पर कैदी ने प्रस्तुत होने की तिथि से 3 वर्ष 9 माह पूरे किये हैं;

(ब) यदि कैदी के दण्डादेश की कालावधि 15 वर्ष से कम के समतुल्य है तो चारण तिथि वह तिथि होगी जिस पर कैदी ने अपने वास्तविक दण्डादेश का 1/4 भाग पूरा किया है।

257. अन्तिम तिथि निश्चित करना—जब विचारण तिथि आ जाती है तो कैदी के परिहार कार्ड का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जायेगा और मामला प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम तिथि प्राप्त किये गये परिहार तथा उस समय पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कैदी को जिन परिहारों को प्राप्त करने की प्रत्याशा है, के आधार पर निश्चित की जायेगी। अन्तिम तिथि वह तिथि होगी जिस पर भुगते गये वास्तविक कारावास की कालावधि तथा पूर्व कैलेण्डर माह के अन्तिम दिन तक प्राप्त किये गये परिहारों को मिलाकर पाँच वर्षों के बराबर है अथवा दण्डादेश की कालावधि के 1/3 है, इसमें से जो भी कम है।

258. प्रस्तुत करने के लिए देय मामलों की सूची—एक निश्चित कैलेण्डर माह में प्रस्तुत करने हेतु देय सभी मामलों की सूची उस माह से तीन महीने पूर्व तैयार की जायेगी। इस सूची के निष्कर्षणपूर्ण और ब्यौरे सहित जैसे कैदी के सम्बन्धियों के नाम तथा पते उस जिले की अपराध निरोधक समिति की जिला कमेटी के सचिव, जिस जिले में कैदी निवास करता है, भेजे जायेंगे जो उसके पास प्रत्येक कैदी के मामला प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम छः सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। कैदियों को परिवीक्षा पर विमुक्ति के लिए उनकी पात्रता की तिथि की भी सूचना दी जायेगी तथा जैसे ही सूची पूर्ण होती है तो उनको परेड के नियमों का तात्पर्य स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

259. कैदियों को सुविधाएं—(अ) कैदियों को प्रोबेशन रूल्स द्वारा अपेक्षित उनके संरक्षकों के लिए व्यवस्था की दृष्टि से तथा अपने सम्बन्धियों और मित्रों से सम्पर्क करने में उनको समर्थ बनाने को पत्रों के विषय में विशेष सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। अधीक्षक के विवेकाधिकार पर उसी उद्देश्य हेतु सम्बन्धियों अथवा प्रस्तावित संरक्षकों से विशेष साक्षात्कार की भी अनुमति दी जा सकेगी।

(ब) प्रोबेशन रूल्स के नियम 4 के अन्तर्गत विमुक्ति के लिये योग्य कोई कैदी विहित किये गये प्रारूप में ऐसी पात्रता की तिथि से एक महीने पूर्व अधीक्षक को आवेदन कर सकेगा।

260. अधिनियम के क्षेत्र के भीतर और बाहर दण्डादेश भुगत रहे कैदी—जब एक कैदी [illegible] अपराधों में दोषसिद्ध किया गया है जिसमें से कुछ उसे परिवीक्षा पर विमुक्ति के अयोग्य बनाते हैं और [illegible] विमुक्ति का हकदार बनाते हैं तथा पूर्व के अपराधों के लिए दण्डादेश बाद के लिए दण्डादेश से कम है तो उसका मामला पूर्व के अपराधों के लिए दण्डादेश की समाप्ति पर पेश किया जायगा अथवा जैसे ही उसके बाद वह अपने बाद के अपराधों के लिए दण्डादेश के शेष भाग को काट लेता है जो उसको ऐसी विमुक्ति का हकदार बनाता है। ऐसे मामलों में अपराधी को इन वर्गों के लिए प्रदान किये गये

दण्डादेशों की कालावधि की समाप्ति और प्रारम्भ होने से सम्बन्धित आवश्यक विशिष्टियाँ सदैव आवेदन के प्रारूप पर अंकित की जायेंगी।

261. प्रारूप-ए—प्रोबेशन रूल्स से संलग्न प्रारूप 'ए' सावधानीपूर्वक तैयार किया जायेगा और सभी विशिष्टियाँ सुपाठ्य रूप से लिखित की जायेंगी। कैदियों और संरक्षकों के नाम और पते पूर्ण होंगे तथा पुलिस रिपोर्ट प्रारूप पर लिखित नहीं होगी, बल्कि एक पृथक पेपर पर लिखी जायेगी और प्रारूप में नत्थी कर दी जायेगी, यदि ऐसा आवश्यक है तो।

262. प्रारूपों का भंडार—इन प्रारूपों का पर्याप्त स्टाक कैदियों, उनके सम्बन्धियों अथवा ऐसे व्यक्तियों को जो स्वयं को उनके संरक्षक बताते हैं, को मुफ्त प्रदान करने के लिए प्रत्येक बन्दीगृह में रखा जायेगा।

प्रोबेशन रूल्स में विहित किये गये प्रारूपों के लिए माँग-पत्र प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी, इलाहाबाद के अधीक्षक से प्रत्यक्ष प्राप्त किये जाने चाहिए।

263. शीघ्र विमुक्ति के लिए देय कैदियों से आवेदन—अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को उन कैदियों से आवेदन स्वीकार नहीं करने चाहिए जिनकी विमुक्ति की सामान्य तिथि उनके आवेदन की तिथि से तीन महीने के अन्दर पड़ती है जैसे राज्य सरकार द्वारा समय पर आदेश पास कर दिये जाते हैं तथा कैदी सम्भाव्यत: बन्दीगृह से विमुक्त हो चुके हैं।

264. संरक्षक की अनुपयुक्तता के लिए कारण—जिला मजिस्ट्रेट अपने संक्षिप्त कारण देगा जबकि वह विशिष्ट संरक्षक को अनुपयुक्त समझता है।

265. बोर्ड की मीटिंगें—(अ) प्रोबेशन रूल्स के नियम 6(5) में निर्दिष्ट बोर्ड की मीटिंग सामान्यतया महीने में दो बार होगी।

(ब) महानिरीक्षक बोर्ड के सचिव और इसकी मीटिंगें बुलायेगा। सभी आवेदन यथासम्भव बोर्ड की मीटिंग से एक सप्ताह पहले तक प्राप्त कर लिये जाते हैं तथा बोर्ड के समक्ष विचारण के लिए रखे जायेंगे।

(स) ऐसे कैदियों के मामले जो नियमों के अन्तर्गत विमुक्ति के लिए स्पष्टतया अयोग्य हैं, महानिरीक्षक द्वारा बोर्ड के समक्ष रखे बिना ही वापस कर दिये जायेंगे।

(द) आवेदनों की प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर महानिरीक्षक द्वारा सम्बद्ध प्राधिकारियों की जानकारी में लिया जाना चाहिए।

(य) महानिरीक्षक बोर्ड की कार्यवाहियाँ राज्य सरकार के पास अग्रेषित करेगा जो उसके पास यथासम्भव मीटिंग के एक सप्ताह के अन्दर पहुँच जायेगा।

266. एक निश्चित कालावधि की समाप्ति के बाद विमुक्ति—जब राज्य सरकार यह निर्देशित करती है कि कैदी एक निश्चित कालावधि की समाप्ति के पश्चात अनुज्ञप्ति पर विमुक्त होगा तो अधीक्षक शीघ्र ही उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व प्रारूप ए में, जिस पर सरकार के आदेश पृष्ठांकित थे, मूल आवेदन पुनः प्रस्तुत करेगा, तब प्रारूप 'द' में अनुज्ञप्ति को जारी करने के लिए पूछेगा। जब बोर्ड द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए विमुक्ति स्थगित कर दी जाती है अथवा एक निश्चित अवधि के बाद जब मामला अनुज्ञप्ति पर विमुक्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उस कालावधि की गणना उस तिथि से, जिस पर बोर्ड की मीटिंग हुई थी, की जायेगी।

267. विमुक्ति के लिए कैदियों की अनुशंसा—[illegible] प्रोबेशन रूल्स के अन्तर्गत विमुक्ति के [illegible] आवश्यक हो, तो महानिरीक्षक [illegible] नहीं होंगे।

268. अनुज्ञप्ति पर विमुक्त किये गये कैदियों के मामले जो पुनरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रान्तर्गत नहीं हैं —ऐसे कैदियों के मामले जो अनुज्ञप्ति पर नियुक्त हुए हैं, पुनरीक्षण बोर्ड के समक्ष नहीं रखे जायेंगे।

269. संरक्षक—अधीक्षक कैदी को उसके संरक्षक के चार्ज में देने से पूर्व संरक्षक की पहचान के विषय में स्वयं सन्तुष्ट होगा।

जब संरक्षक एक परिवीक्षा अधिकारी अथवा एक व्यक्ति जो बन्दीगृह के प्राधिकारियों के रूप में जाना जाता है, नहीं हैं तो जिला मजिस्ट्रेट आदेश में भावी संरक्षक को एक प्राधिकार पत्र जारी कर सकेगा तथा कैदी को उसके अधिकारवान संरक्षक के हाथों सौंपने में कोई कठिनाई नहीं हो सकेगी।

270. प्रक्रिया, जब संरक्षक कैदी का भार लेने को उपस्थित नहीं होता है—यदि संरक्षक आदेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कैदी का चार्ज लेने बन्दीगृह पर उपस्थित नहीं होता है तो प्रारूप 'द' में अनुज्ञप्ति, उसके ऊपर कारण लेखबद्ध करके महानिरीक्षक को वापस की जा सकेगी। महानिरीक्षक कैदी की अनुज्ञप्ति को आगे तीन माह की कालावधि के लिए रखे रहेगा। यदि संरक्षक इस आगामी कालावधि के अन्दर उपस्थित होता है तो महानिरीक्षक सूचित करेगा।

जब संरक्षक कैदी का चार्ज अनिच्छापूर्वक लेता है तो अनुज्ञप्ति महानिरीक्षक द्वारा राज्य सरकार को वापस कर दी जायेगी।

पत्र-संख्या—1621
संख्या 49/45
कार्यालय कारागार महानिरीक्षक
उत्तर प्रदेश
दिनांक 17-10-98

रजि0 नं0 एस. एस./एन. पी. 581
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 30 जून, 1992

आषाढ़ 9, 1914 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (कारागार) अनुभाग-2

संख्या 584/22-2-92-1212(130)-82

लखनऊ, 29 जून, 1992

अधिसूचना

संयुक्त प्रान्त बन्दियों परिवीक्षा पर छोड़ना अधिनियम, 1938 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 8 सन् 1938) की धारा 5, 6 और 9 के अधीन शक्ति और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-3436 (1)/डी-1671 (7)-37, दिनांक 17 दिसम्बर, 1938 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन रूल्स में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन (आठवां संशोधन) नियमावली, 1992

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन (आठवां संशोधन) नियमावली, 1992 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. In the U. P. Prisoners' Release on Probation Rules for rule 4 set-out in column-1 below the rule as set-out in column-2 shall be *substituted*, namely *Amendment of rule 4.*

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Eligibility for release — 4. Any Prisoner, other than a prisoner specified in rule 3, may be eligible for consideration by the State Government for release on licence—	"Eligibility for release. — 4. Any prisoner other than a prisoner specified in rule 3, may be eligible for consideration by the State Government for release on licence—
(i) if he is a prisoner to whom section 433-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 applies and has served imprisonment for a total period of 14 years including remissions,	(i) if he is a prisoner to whom section 433-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 applies and has served imprisonment for a total period of fourteen years,
(ii) if he is a prisoner sentenced to imprisonment for life to whom section 433-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 does not apply and has served imprisonment for a total period of ten years with remissions, and	(ii) if he is a prisoner sentenced to imprisonment for life to whom section 433-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 does not apply and has served imprisonment for a total period of fourteen years with remssions, and
(iii) in any other case, if he has served one-third without remissions of the period of imprisonment to which he was sentenced.	(iii) in any other case if he has served one-third without remissions, of the period of imprisonment to which he was sentenced.

By order,
SWARN DAS,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० मा० गृह—(907)—1992—300 (मेक०)

नियम--4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :--

	स्तम्भ 1 वर्तमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
छोड़े जाने के लिये पात्रता	4--नियम--3 में विनिर्दिष्ट बन्दी से भिन्न कोई बंदी राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस पर छोड़ दिये जाने के लिये विचार किये जाने के लिये पात्र हो सकता है---	छोड़े जाने के लिये पात्रता	4--नियम--3 में विनिर्दिष्ट बन्दी से भिन्न कोई बन्दी राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस पर छोड़ दिये जाने के लिये विचार किये जाने के लिये पात्र हो सकता है---
	(एक) यदि वह ऐसा बन्दी है जिस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 433--क लागू होती है और जिसमें छूटों को सम्मिलित करते हुए कुल 14 वर्ष की अवधि के कारावास की सजा काट ली हो,		(एक) यदि वह ऐसा बन्दी है जिस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433--क लागू होती है और जिसने कुल चौदह वर्ष की अवधि के कारावास की सजा काट ली हो.
	(दो) यदि वह ऐसा बन्दी है जिसे आजीवन कारावास की सजा दी गई हो और जिस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433--क लागू नहीं होती और जिसने छूटों को सम्मिलित करते हुए कुल दस वर्ष अवधि के कारावास की सजा काट ली हो, और		(दो) यदि वह ऐसा बन्दी है जिसे आजीवन कारावास की सजा दी गई हो और जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433--क लागू नहीं होती और जिसने छूटों को सम्मिलित करते हुए, कुल चौदह वर्ष की अवधि के कारावास की सजा काट ली हो, और
	(तीन) किसी अन्य स्थिति में, यदि उसने उस कारावास की जिसकी उसे सजा दी गई हो, अवधि की एक तिहाई सजा छूटों को छोड़ कर काट ली हो ।		(तीन) किसी अन्य स्थिति में, यदि उसने उस कारवास की जिसकी उसे सजा दी गई हो, अवधि की एक तिहाई सजा छूटों को छोड़ कर काट ली हो।

आज्ञा से,
रेवर्ण दास,
सचिव ।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 584 XXII-2--92-1212 (130)-82, dated June 29, 1992 for general information :

No. 584, XXII-2--92-1212(130)-82

Dated Lucknow, June 29, 1992

IN exercise of the powers under sections 5, 6 and 9 of the U. P. Prisoners' Release on Probation Act, 1938 (U. P. Act No. VIII of 1938) and all other powers enabling him in this behalf the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the U. P. Prisoners' Release on Probation Rules published under Government notification no. 34361(1)VI-165(7)-37, dated December 17, 1938.

THE UTTAR PRADESH PRISONERS' RELEASE ON PROBATION (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 1992

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Prisoners' Release on Probation (Eight Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publicaton in the *Gazette*.

संख्या-4863/22-8-92-52 जी/92

प्रेषक,

श्री ललित कान्ति,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कारागार महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

गृह (कारागार) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 नवम्बर, 1992

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका संख्या - 1123/81 डा० ए० एल० ... बनाम भारत सरकार एवं अन्य के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या- 19489/पर-2(एन० आर०-नियम संशोधन) दिनांक: 14-7-92 के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी बन्दी का फार्म (ए) निरस्त हो गया है तथा निरस्तीकरण के पश्चात शासनादेश संख्या- 2159/22-2-92-1212(8)/89, दिनांक: 25-6-1992 के अनुसार उसका 14 वर्षीय नामिनल रोल विचारण में लिया गया हो तथा नामिनल रोल विचाराधीन होने की दशा में यदि किसी कारणवश उसके फार्म (ए) पर पुनर्विचार किये जाने के आदेश पारित कर जाय तो ऐसी परिस्थितियों में बन्दी का 14 वर्षीय नामिनल रोल आस्थगित हो जाएगा । यदि फार्म (ए) पुनर्विचार के पश्चात अस्वीकार किया जाता है, तो पुनः नामिनल रोल जो आस्थगित रखा गया है पुनर्जीवित हो जाएगा और उसपर कार्यवाही की जाएगी।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा समस्त कारागार अधीक्षकों को भी इससे अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ललित कान्ति,
संयुक्त सचिव।

-: कार्यालय, कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ :-

पृष्ठांकन संख्या- 51 (1)/पर-2(एन०आर०-नियम संशोधन)
लखनऊ: दिनांक: 5 जनवरी, 1993

(1)- प्रतिलिपि, समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष, कारागार विभाग, (उ० प्र० उ०)

उत्तर प्रदेश को उपरोक्त के सन्दर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है ।

(2)- प्रतिलिपि, समस्त जिलाधिकारी को उपरोक्त के सन्दर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है ।

(3)- प्रतिलिपि, समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी , उत्तर प्रदेश को उपरोक्त के सन्दर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है ।

(अजय कुमार सिंह)
स्टाफ आफिसर,
कारागार महानिरीक्षक, उ०प्र० ।

आरिफ/26-12-92.

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद

इलाहाबाद, शनिवार, 8 दिसम्बर, 1990 ई० (अग्रहायण 17, 1912 शक संवत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ।

गृह विभाग

23 नवम्बर, 1990 ई

सं० यू० ओ०–179/22–1—90–4885–90—कारागार अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1894) की धारा 59 के अधीन शक्ति और इस निमित्त समर्थकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के क्रमशः अध्याय–8 और अध्याय–10 में दिये गये सजा में छूट देने की प्रणाली और सजा की अवधि समाप्त होने के पूर्व मुक्ति और पुनरीक्षण बोर्डों से संबंधित नियमों का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश जेल नियम संग्रह (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1990

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जेल नियम–संग्रह (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1990 कही जायगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2—पैरा 198, 201, 201–ए और 202 में दिये गये नियमों का संशोधन—उत्तर प्रदेश जेल नियम–संग्रह के अध्याय–8 में दिये गये सजा में छूट देने की प्रणाली और सजा की अवधि समाप्त होने के पूर्व मुक्ति से संबंधित

नियम: नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए पैरा 198, 201, 201–ए और 203 में दिये गये वर्तमान नियमों के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिये गए नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्

स्तम्भ–1

वर्तमान नियम

198––(क) अधीक्षक प्रत्येक आजीवन सिद्ध-दोष को तथा प्रत्येक ऐसे सिद्ध-दोष को जिसे कुल मिला कर चौदह वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दी गयी हो, नामावली दो प्रतियों में, शीघ्र जैसे ही सिद्ध-दोष द्वारा भोग ली गयी कारावास की अवधि तथा नियमों के अधीन उसके द्वारा अर्जित छूट की अवधि कुल मिलाकर चौदह वर्ष हो जाय, उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, जहां उसे दोषी ठहराया गया हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन राज्य सरकार के विचार और आदेश के लिये प्रस्तुत करेगा। जिला मैजिस्ट्रेट नामावली सरकार को प्रेषित करने के पूर्व उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट से जहां उसका निवास स्थान हो, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से परामर्श करने के बाद, यदि निवास स्थान का उक्त जिला उसके दोषी ठहराये जाने के जिले से भिन्न हो, नामावली पर निम्नलिखित अभिलिखित करेगा :––

(1) अपना मत कि क्या सिद्ध–दोष को शीघ्र मुक्त किये जाने पर उसे कोई आपत्ति है।

(2) यदि सिद्ध-दोष के शीघ्र मुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति हो तो छूट सहित कारावास की कुल अवधि के संबंध में उसका सुझाव, जिसे सिद्ध-दोष को काटनी चाहिये।

(3) अपराध अथवा अपराधों की, जिसके लिये उसे दोषी ठहराया गया था, परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण।

अन्य राज्य में दोषी ठहराये गए किसी सिद्ध-दोष की स्थिति में, पैराग्राफ 206 के उपबन्धों का भी अनुपालन किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अधीक्षक के लिये ऐसे सिद्ध–दोष के मामले में उक्त नामावली को प्रस्तुत करना आवश्यक न होगा जिसे यू० पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अधीन पहले ही लाइसेन्स पर अथवा अन्यथा मुक्त कर दिया गया हो अथवा जिसने 1938 के उक्त ऐक्ट तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऐसी मुक्ति के लिये आवेदन किया हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उक्त संहिता की धारा 433–क के अन्तर्गत आने वाले सिद्ध-दोष के मामले में चौदह वर्ष की कारावास की गणना, छूट की अवधि को छोड़ते हुए की जायेगी।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

198––(क) अधीक्षक प्रत्येक आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति की नामावली दो प्रतियों में, शीघ्र जैसे ही सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा भोग की गयी कारावास की अवधि तथा नियमों के अधीन उसके द्वारा अर्जित छूट की अवधि कुल मिलाकर चौदह वर्ष हो जाय, उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, जहां उसे दोषी ठहराया गया हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन राज्य सरकार के विचार और आदेश के लिये प्रस्तुत करेगा। नामावली की प्राप्ति पर तुरन्त जिला मैजिस्ट्रेट नामावली राज्य सरकार को प्रेषित करने के पूर्व संबंधित न्यायालय से मामले के सुसंगत निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजने का अनुरोध करेगा और उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट से जहां उसका निवास स्थान हो, पुलिस अधीक्षक या जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से परामर्श करने के बाद, यदि निवास स्थान का उक्त जिला उसके दोषी ठहराये जाने के जिले से भिन्न हो, नामावली पर निम्नलिखित अभिलिखित करेगा :––

(1) अपना मत कि क्या सिद्ध दोष व्यक्ति को शीघ्र मुक्त किये जाने पर उसे कोई आपत्ति है,

(2) यदि सिद्ध दोष व्यक्ति के शीघ्र मुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति हो, तो छूट सहित कारावास की कुल अवधि के संबंध में उसका सुझाव, जिसे सिद्ध दोष को काटनी चाहिये ; और

(3) अपराध अथवा अपराधों की जिसके लिये उसे दोषी ठहराया गया था, परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण।

अन्य राज्य में दोषी ठहराये गये किसी सिद्ध दोष व्यक्ति की स्थिति में, पैराग्राफ 206 के उपबन्धों का भी अनुपालन किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अधीक्षक के लिये ऐसे सिद्ध दोष व्यक्ति के मामले में उक्त नामावली को प्रस्तुत करना आवश्यक न होगा जिसे यू० पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन पहले ही लाइसेन्स पर अथवा अन्यथा मुक्त कर दिया गया हो अथवा जिसने 1938 के उक्त ऐक्ट तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऐसी मुक्ति के लिये आवेदन किया हो।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उक्त संहिता की धारा 433–क के अन्तर्गत आने वाले सिद्ध दोष व्यक्ति के मामले में चौदह वर्ष के कारावास की गणना छूट की अवधि को छोड़ते हुए की जायेगी।

स्तम्भ—1

वर्तमान नियम

(ख) अन्दमान से वापस भेजे गये सिद्ध दोषियों के मामलों को प्रस्तुत करना अन्दमान से वापस भेजे गये सिद्ध दोष का मामला इस प्रकार के अधीन राज्य सरकार को उस समय प्रस्तुत किया जायगा जब उसके द्वारा अन्दमान में छूट सहित व्यतीत की गई वास्तविक अवधि का दो तिहाई भाग तथा अन्दमान भेजे जाने से पूर्व और अन्दमान से वापस भेजे जाने के पश्चात् सिद्ध दोषी द्वारा भारतीय जेलों में छूट सहित व्यतीत की गई अवधि कुल मिलाकर चौदह वर्ष हो जाय। सजा की एक तिहाई विशेष छूट की गणना अन्दमान भेजे गये, सिद्धदोषियों को स्वीकृत की जाय, चौदह वर्ष का इस प्रकार की अवधि आकलित करने में नहीं की जायेगी।

(ग) यदि राज्य सरकार किसी मामले में यह निर्देश करे कि ऐसा सिद्ध दोष, सजा की एक निर्दिष्ट अवधि काट लेने के बाद मुक्त कर दिया जायगा अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् विचारार्थ उसका मामला पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिये तो अवधि की गणना सिद्ध दोष की सजा प्रारम्भ होने के दिनांक से की जानी चाहिये और अन्दमान में काटी गई संपूर्ण अवधि की गणना भी की जानी चाहिये।

टिप्पणी—राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली नामावली में आजीवन सजा को सदैव इसी प्रकार दिखलाया जाना चाहिये न कि कारावास के वर्षों में परिवर्तित सजा के रूप में।

201—आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति—

पुनरीक्षण बोर्ड की सिफारिश पर (पैरा 247) या चौदह वर्षीय नियम के अधीन (पैरा 198 या पैरा 190 के अन्तर्गत) आजीवन सिद्ध दोष का मामला प्राप्त होने पर राज्य सरकार निम्नलिखित आदेशों में से कोई एक आदेश दे सकती है :—

(1) सिद्ध-दोष, शर्त पर अथवा बिना शर्त के तुरन्त मुक्त कर दिया जाय :

(2) सिद्धदोष, छूट सहित उल्लिखित अवधि तक सजा काट लेने के पश्चात् शर्त पर अथवा बिना शर्त के मुक्त कर दिया जाय।

(3) मामले पर, उल्लिखित अवधि के पश्चात् अथवा सिद्ध दोष द्वारा छूट सहित निर्दिष्ट अवधि तक सजा काट लेने के पश्चात् फिर से विचार किया जाय।

दूसरी दशा में जब बिना शर्त के मुक्त किया जाना हो तो सिद्ध दोष जब वह आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक सजा काट ले, राज्य सरकार को पुनः अभिदिष्ट किये बिना मुक्त कर दिया जाय, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका आचरण संतोषजनक रहा हो।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ख) जिला मजिस्ट्रेट कारागार महानिरीक्षक को नामावली अग्रसारित करेगा। कारागार महानिरीक्षक द्वारा जिलों से प्राप्त नामावलियों पर एक सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कारागार विभाग	अध्यक्ष
(2) गृह सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट किया विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग।	सदस्य
(3) न्याय सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, न्याय विभाग।	सदस्य
(4) महानिरीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश	सदस्य

(ग) यदि राज्य सरकार किसी मामले में निर्देश दे कि ऐसे सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा सजा की विनिर्दिष्ट अवधि काट लेने के पश्चात उसे मुक्त कर दिया जायेगा या यह कि विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसके मामले को विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जायेगा, तो उक्त अवधि की गणना सिद्ध दोष व्यक्ति की सजा और छूट, यदि कोई हो, के प्रारम्भ के दिनांक से की जायेगी।

टिप्पणी—आजीवन कारावास की सजा सदैव इसी रूप में दर्शायी जानी चाहिये और राज्य सरकार को प्रस्तुत नामावलियों में उसे कारावास के वर्षों में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिये।

201—आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति—

सलाहकार समिति की सिफारिश पर (पैरा 198) या पैरा 190 के अधीन किसी आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति के मामले की प्राप्ति पर राज्य सरकार निम्नलिखित कोई एक आदेश दे सकती है :—

(1) सिद्ध दोष व्यक्ति को शर्त पर या बिना शर्त के तुरन्त मुक्त कर दिया जायगा।

(2) सिद्ध दोष व्यक्ति, छूट सहित उल्लिखित अवधि तक सजा काट लेने के पश्चात शर्त पर या बिना शर्त के मुक्त कर दिया जायगा : या

(3) मामले पर उल्लिखित अवधि के पश्चात् या सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा छूट सहित विनिर्दिष्ट अवधि तक सजा काट लेने के पश्चात पुनः विचार किया जायगा।

दूसरी स्थिति में, जब बिना शर्त के मुक्त किया जाना हो तो सिद्ध दोष व्यक्ति को जब वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि तक सजा काट ले राज्य सरकार को अग्रेतर निर्दिष्ट किये बिना मुक्त कर दिया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका आचरण संतोषजनक रहा हो।

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
यदि आदेश यह हो कि शर्त पर मुक्त किया जाय तो अधीक्षक सजा की निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के कम से कम दो माह पूर्व, उस मामले को सरकार को पुनः प्रस्तुत करेगा। ऐसी दशा में और उस दशा में भी जब सरकार ने उपर्युक्त (3) के अनुसार आदेश दिया हो, मामले को पुनः प्रस्तुत करने का कार्य उसे पुनः प्रस्तुत करने के निश्चित दिनांक के कम से कम दो माह पूर्व जेल द्वारा प्रारम्भ किया जाना चाहिये, जिससे कि सरकार द्वारा मामले की प्राप्ति में किसी प्रकार का विलम्ब होने की संभावना न रहे।	यदि आदेश यह हो कि शर्त पर मुक्त किया जाय तो अधीक्षक सजा की निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के कम से कम दो माह पूर्व, उस मामले को सरकार को पुनः प्रस्तुत करेगा ऐसी दशा में और उस दशा में भी, जब राज्य सरकार ने उपर्युक्त (3) के अनुसार आदेश दिया हो, मामले को पुनः प्रस्तुत करने का कार्य उसे पुनः प्रस्तुत करने के निश्चित दिनांक के कम से कम दो माह पूर्व कारागार, द्वारा प्रारम्भ किया जाना चाहिये, जिससे कि राज्य सरकार द्वारा मामले की प्राप्ति में किसी प्रकार के विलम्ब होने की संभावना न रहे।
201—ए—यदि सजाएं लगातार चलने वाली हों और उनकी कुल अवधि 20 वर्ष से अधिक हो तो राज्य सरकार, छूट सहित 20 वर्ष पूरे होने के पूर्व बन्दी के मामले पर पुनरावलोकन कर सकती है। यदि राज्य सरकार यह समझे कि मुक्त किये जाने के लिये यह उपयुक्त मामला है तो वह सजा की असमाप्त अवधि की छूट दे सकती है। यदि छूट देने के लिये समुचित सरकार, केन्द्रीय सरकार हो तो राज्य सरकार उक्त सरकार को उपयुक्त सिफारिश कर सकती है।	201—ए—निकाल दिया जायेगा।
202—जब राज्य सरकार को चौदह वर्षीय नियम के अन्तर्गत किसी सिद्ध दोष का मामला पुनरीक्षण बोर्ड द्वारा उस पर विचार किए जाने के पूर्व ही प्राप्त हो जाय तो राज्य सरकार सिद्ध दोषों द्वारा काटी जाने वाली अवधि का अवधारण उस समय तक के लिए स्थगित कर सकती है, जब तक कि उस पर पुनरीक्षण बोर्ड उपर्युक्त प्रकार से विचार न कर ले और उसकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार न कर लिया जाय। इस नियम का समुचित रीति से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधीक्षक पुनरीक्षण बोर्ड की सिफारिश प्रस्तुत करते समय सिद्ध दोष की नामावली पर यह तथ्य अभिलिखित कर देगा और राज्य सरकार को उससे अवगत करा देगा कि सिद्ध दोष द्वारा काटी जाने वाली अवधि का अवधारण सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया था और साथ ही उपर्युक्त सरकारी आदेश की संख्या और दिनांक भी उस पर अभिलिखित कर देगा।	202—निकाल दिया जायेगा

3—पैरा 237, 238, 239 और 247 में दिये गये नियमों का संशोधन—उत्तर प्रदेश जेल नियम संग्रह के अध्याय-10 में दिये गये पुनरीक्षण बोर्डों से संबंधित नियमों में, नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये पैरा 237, 238, 239 और 247 में दिये गये नियमों के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् —

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
वर्तमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
237—आजीवन सजा पैरा 170 (ई) के अनुसार बीस वर्ष की सजा समझी जायेगी।	237—निकाल दिया जायगा।
238—(क) पुनरीक्षण परिषद द्वारा एक सिद्ध दोष जिसे दो या अधिक आजीवन कारावास मिले हों, के मामले पर विचार करने के लिये दिनांक की गणना करने के लिए ऐसी सजायें साथ साथ चलने वाली मानी जायेंगी और आकस्मिक सिद्ध दोष का मामला आधी सजा काटने के बाद तथा अभ्यस्त सिद्ध दोष द्वारा दो तिहाई सजा काटने के बाद परिषद् के समक्ष पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत होने योग्य होगा।	238—निश्चित अवधियों के लिये कारावास की विभिन्न सजाओं की दशा में, यदि सजायें साथ-साथ चलने वाली हों तो उन्हें ऐसी सजाओं की सबसे लम्बी अवधि वाली सजा मानी जायेगी, किन्तु यदि सजायें क्रमवार हों तो समस्त ऐसी कुल सजा पर इस शर्त के अधीन रहते हुए पुनरीक्षण बोर्ड के लिए दिनांक निर्धारित करने के लिये विचार किया जायेगा, कि यदि कुल अवधि, जिसे किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को दो दो या दो से अधिक अनुगामी सजाओं के रूप में काटनी हो, बीस वर्ष से अधिक हो तो आकस्मिक सिद्ध दोष व्यक्ति के मामले को उसके द्वारा दस वर्ष की सजा काटने के पश्चात् और किसी अभ्यस्त सिद्ध दोष व्यक्ति के मामले को उसके द्वारा तेरह वर्ष और चार महीने की सजा काटने के पश्चात् पुनरीक्षण बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायगा।
(ख) एक ऐसे सिद्ध दोष के मामले पर जिसे उम्र कैद हुई हो तथा साथ में एक निश्चित अवधि की सजा हुई हो, तथा दोनों सजायें साथ साथ चलने वाली हों, अथवा क्रमिक, पुनरीक्षण परिषद् द्वारा तब विचार किया जायेगा जब उसने आधी उम्र कैद काट ली हो तथा यदि वह आकस्मिक सिद्ध दोष है या दो तिहाई भाग भोग लिया हो यदि वह अभ्यस्त सिद्ध दोष है।	
(ग) यदि कई सजायें निश्चित अवधि हेतु हों, और यदि वे साथ-साथ चलने वाली हों तो उनमें से सबसे लम्बी सजा की अवधि के लिये वह एक सजा, हो मानी जायेंगी। लेकिन यदि सजायें, क्रमिक हों तो उन सबकी, अवधि के योग को पुनरीक्षण परिषद् के लिए दिनांक निश्चित करने हेतु ध्यान में इस शर्त के अधीन रखा जायेगा कि यदि वह कुल अवधि जिसे अपराधी को दो या अधिक क्रमिक सजायें भोगनी हों, 20 वर्ष से अधिक हो तो आकस्मिक सिद्ध दोष का मामला पुनरीक्षण परिषद् को तब संदर्भित किया जायेगा जब उसने 10 वर्ष की सजा भोग ली हो, और अभ्यस्त सिद्ध दोष का मामला तब संदर्भित किया जायेगा जब उसने सजा के 13 वर्ष और 4 महीने की अवधि पूरी कर ली हो।	
239—कतिपय वर्गों के कैदियों के मामले में छूट लागू नहीं होगी। निम्नलिखित वर्गों के कैदियों को इन छूटों का लाभ नहीं मिलेगा :	239—कतिपय वर्गों के कैदियों के मामले में छूट लागू नहीं होगी। निम्नलिखित वर्गों के कैदियों को इन छूटों का लाभ मिलेगा :—
(1) विचारण के बिना निरुद्ध किये गए नजरबन्द (इन्टरनीज) और अन्य कैदी;	(1) विचारण के बिना निरुद्ध किये गये नजरबन्द (इन्टरनीज), और अन्य कैदी;
(2) दि फ्रन्टियर मरडरस आउटरेजेज रेगुलेशन, 1901 (1901 का विनियम 4 की धारा 5 के अधीन अपराधों के लिये कैद किये गये सिद्ध दोष व्यक्ति;	(2) दि फ्रन्टियर मरडरस आउटरेजेज रेगुलेशन, 1901 (1901 का विनियम 4) की धारा 2 के अधीन अपराधों के लिए कैद किये गये सिद्ध दोष व्यक्ति;

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) ऐसे सिद्ध दोष व्यक्ति जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन इस शर्त पर या दि प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 8 सन् 1938) के अधीन लाइसेंस पर मुक्त कर दिया गया हो; और	(3) ऐसे सिद्ध दोष व्यक्ति जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन शर्त पर या दि प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 8, सन् 1938) के अधीन लाइसेंस पर मुक्त कर दिया गया हो, या जिन्होंने दि प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 के अधीन मुक्ति के लिए आवेदन-पत्र दिया हो;
(4) ऐसे सिद्ध दोष व्यक्ति जिन्हें दि यू० पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 की धारा 6 के अधीन उनके लाइसेंस के विखण्डन पर या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन दिये गये उनकी मुक्ति के आदेश की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें कारागार में पुनः दाखिल किया गया हो ।	(4) ऐसे सिद्ध दोष व्यक्ति जिन्हें दि यू० पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 की धारा 6 के अधीन उनके लाइसेंस के विखण्डन पर या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन दिये गये उनकी मुक्ति के आदेश की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें कारागार में पुनः दाखिल किया गया हो ।
247—पुनरीक्षण पत्र सरकार के पास भेजा जाना— (क) ऐसे सभी सिद्ध दोष व्यक्तियों का पुनरीक्षण पत्र, जिनकी पुनरीक्षण बोर्ड द्वारा मुक्त कर दिये जाने की सिफारिश की गयी हो बोर्ड के सचिव द्वारा सीधे राज्य सरकार के पास भेज दिया जायेगा । अन्य मामलों में पुनरीक्षण पत्र को सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्तियों के दोष सिद्ध वारन्ट के साथ संलग्न कर दिया जायगा और अन्य कारागारों में परिरुद्ध सिद्ध दोषियों की दशा में पुनरीक्षण पत्र उन कारागारों को भेज दिया जायेगा जिससे कि वे बंदियों के दोष सिद्ध वारन्ट में संलग्न कर दिये जायं । (ख) यदि आजीवन सिद्ध दोष की दशा में पुनरीक्षण बोर्ड यह निश्चय करे कि उसे सजा समाप्त होने के पूर्व मुक्त न किया जाय और मामला भी इस प्रकार का हो कि उस पर पैराग्राफ 202 लागू हो तो सिद्ध दोष के पुनरीक्षण पत्र को उस पर अभिलिखित पुनरीक्षण बोर्ड के निर्णय सहित राज्य सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया जायेगा ।	247—पुनरीक्षण पत्र सरकार के पास भेजा जाना—ऐसे सभी सिद्ध दोष व्यक्तियों का पुनरीक्षण पत्र, जिनकी पुनरीक्षण बोर्ड द्वारा मुक्त कर दिये जाने की सिफारिश की गयी हो, बोर्ड के सचिव द्वारा सीधे राज्य सरकार के पास भेज दिया जायेगा । अन्य मामलों में पुनरीक्षण पत्र को सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्तियों के दोष सिद्ध वारन्ट के साथ संलग्न कर दिया जायेगा और अन्य कारागारों में परिरुद्ध सिद्ध दोषियों की दशा में पुनरीक्षण पत्र उन कारागारों को भेज दिया जायेगा जिसे कि वे बंदियों के दोष सिद्ध वारन्ट में संलग्न कर दिये जायं ।

आज्ञा से,
कर्नेल सिंह,
सचिव ।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U. O.-179, XXII-1 90-4885-90, dated November 23, 1990 for general information :

No. U.O.-179/XXII-1—90-4885-90

November 23, 1990

In exercise of the powers under section 59 of the Prisons Act, 1894 (Act no. IX of 1894) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the Rules relating to the Remission System and Premature Release and the Revising Boards contained in Chapter VIII and Chapter X respectively of the U. P. Jail Manual :

E UTTAR PRADESH JAIL MANUAL (SECOND AMENDMENT) RULES, 1990

1. **Short title and Commencements.**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Jail Manual (Second Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. **Amendment of rules contained in paras 198, 201, 201-A and 202.**—In the rules relating to Remission System and Premature Release contained in Chapter VIII of the U. P. Jail Manual for the existing rules contained in paras 198, 201, 201-A and 202 set out in column I below rules as set in column II shall be substituted namely :

COLUMN I *Existing Rules*	COLUMN II *Rules as hereby substituted*
198(*a*). The Superintendent shall submit through the Superintendent of Police and the district magistrate of the districts concerned for the consideration and the orders of the State Government under section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the nominal roll in duplicate of every life-convict and of every convict sentenced to more than fourteen years imprisonment in the aggregate as soon as the term of imprisonment undergone by the convict together with any remission earned by him under the rules amounts to fourteen years. Before forwarding the roll to the Government, the district magistrate shall, after consulting through the superintedent of police the district magistrate of the district of residence, if such district of residence, is other than the district of conviction, record on the roll :	198(*a*). The Superintendent shall submit through the Superintendent of Police and District Magistrate of the district of conviction, for the consideration and the orders of the State Government under section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the nominal roll in duplicate of every life-convict as soon as the term of imprisonment undergone by the convict together with any remission earned by him under the rules amounts to fourteen years. Immediately on receipt of the roll, the District Magistrate shall move the court concerned for supplying him with the certified copy of relevant judgement in the case free of cost and record on the roll after consulting through the Superintendent of Police or the District Magistrate of the district of residence, if such district of residence is other than the district of conviction :
(1) his opinion whether there is any objection to the immediate release of the convict ;	(1) his opinion whether there is any objection to the immediate release of the convict ;
(2) if there is any objection to the immediate release of the convict, his suggestion as to the total period of imprisonment inclusive of remissions which the convict should serve ; and	(2) if there is any objection to the immediate release of the convict, his suggestion as to the total period of imprisonment inclusive of remissions which the convicts should serve ; and
(3) a brief account of the circumstances of the crime or crimes for which the convict was convicted.	(3) a brief account of circumstances of the crime or crimes for which the convict was convicted.
In the case of convict convicted in other State the Provisions of paragraph 206 shall also be observed :	In the case of convicts convicted in other State the Provisions of the paragraph 206 shall also be observed:
Provided that the Superintendent shall not be required to submit the nomination roll as aforesaid, in case of a prisoner who has already been released on licence or otherwise under the provisions of the U. P. Prisoners Release on Probation Act, 1938 and the rules framed there-	Provided that the Superintendent shall not be required to submit the nomination roll as aforesaid, in case of a prisioner who has already been released on licence or otherwise under the provisions of the U.P. Prisoners Release on Probation Act, 1938 and the rules made

COLUMN I	COLUMN II
under or who has applied for such release under the said Act of 1938 and the rules made thereunder :	thereunder or who has applied for such release under the said Act of 1938 and the rules made thereunder :
Provided further that in case of convict covered under section 433-A of the said Code, the fourteen years of imprisonment shall be counted excluding the period of remission.	Provided further that in case of convicts covered under section 433-A of the said Code, the fourteen years of imprisonment shall be counted excluding the period of remission.
(*b*) **Submission of cases of convicts repatriated from the Andamans.**—The case of a convict repatriated from the Andamans shall be submitted to the State Government under this paragraph when two-third of the actual period spent by him in the Andamans including remissions together with the period spent in Indian Jails including remissions, before deportation to and after repatriation from the Andamans, amounts to fourteen years. The special remission of one-third sentence granted to repatriated convicts shall not be taken into account in calculating such period fourteen years.	(*b*) The District Magistrate shall forward the roll to the Inspector General of Prisons. The rolls received from the district by the Inspector General of Prisons shall be considered by an Advisory Committee consisting of— (1) The Secretary to Government, Uttar Pradesh, Jail Department .. *Chairman.* (2) A Special Secretary to Government, Uttar Pradesh, Department of Home nominated by the Home Secretary .. *Member* (3) A Special Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Judicial Department nominated by the Judicial Secretary .. *Member.* (4) Inspector General Prisons, U. P. .. *Member*
(*c*) If the State Government in any case direct that such convict shall be released after he has served a specified period of sentence or that his case should be re-submitted for consideration after a specified period, then the period should be counted from the date of commencement of the convict's sentence and the entire period served in the Andamans, should also be taken into account.	(*c*) If the State Government in any case direct that such convict shall be released after he has served a specified period of sentence or that his case should be re-submitted for consideration after a specified, period then the period should be counted from the date of commencement of the convicts sentence including the remission, if any.
NOTE—A life sentence should always be shown as such and not converted into years of imprisonment in the nominal rolls submitted to the State Government.	NOTE—A life sentence should always be shown as such and not converted into years of imprisonment in the nominal rolls submitted to the State Government.
201. **Life Convicts**—On receipt of the case of a life convict on the recommendation of the revising board (paragraph 247) or under the fourteen year rule (paragraph 198) or under paragraph 190) the State Government may pass one of the following orders.	201. **Life Convicts**—On receipt of the case of a life convict on the recommendation of Advisory Committee (paragraph 198) or under paragraph 190, the State Government may pass one of the following orders:

COLUMN I	COLUMN II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(1) that the convict shall be released immediately conditionally or unconditionally;	(1) that the convict shall be released immediately, conditonally or unconditionally;
(2) that the convict shall be released conditionally or unconditionally after serving a stated period of sentence inclusive of remissions; or	(2) that the convict shall be released conditionally or unconditionally after serving a stated period of sentence inclusive of remissions; or
(3) that the case shall be reconsidered after a stated period or after the convict has served a specified period of sentence inclusive of remissions.	(3) that the case shall be reconsidered after a stated period or after the convict has served a specified period of sentence inclusive of remissions.
In the second case when the release is to be unconditional the convict shall be released without further reference to the State Government when he has served the period specified in the order provided his conduct continue to be satisfactory.	In the second case when the release is to be unconditional the convict shall be released without further reference to the State Government when he has served the period specified in the order provided his conduct continue to be satisfactory.
If the order is that the release shall be conditional the Superintendent shall re-submit the case to Government for orders at least two months before the expiry of the specified period of sentence. In such case and also when an order has been passed by the Government as at (3) above, the re-submission of the case should be initiated by the jail at least two months before the date fixed for its re-submission in order to avoid any possible delay in the receipt of the case by the Government.	If the order is that the release shall be conditional, the Superintendent shall re-submit the case to the State Government for orders at least two months before the expiry of the specified period of sentence. In such case and also when an order has been passed by the State Government as at (3) above, the re-submission of the case should be initiated by the jail at least two months before the date fixed for its re-submission in order to avoid any possible delay in the receipt of the case by the State Government.
201-A. Where the sentences are to run consecutively and their aggregate is more than twenty years, the State Government may review the case prior to the prisoner's completing twenty years including remissions. If the State Government consider that it is a fit case for release they may remit the unexpired sentence. If the appropriate Government for the purpose of remission is the Central Government, the State Government may make suitable recommendation to them.	201 (*A*) *deleted.*
202. Postponement of cases under the fourteen year rule till their consideration by the revising board—When the case of any convict is received under the fourteen-year rule by the State Government before it has been considered by the revising board, the State Government may defer the determination of the period to be served till the case has been so considered by the revising board and its recommendation considered by the Government. To ensure proper working of this rule, the Superintendent shall make a note of the fact on the convict's roll and also bring it to the notice of the State Government, when submit-	202. *deleted.*

COLUMN I *Existing rule*	COLUMN II *Rules as hereby substituted*
ting the revising board's recommendation, that the determination of the period to be served by the convict had been deferred by the Government at the same time quoting the number and date of the Government order.	

3. **Amendment of rules contained in paras 237, 238, 239 and 247**—In the rules relating to the revising boards contained in Chapter X of the U. P. Jail Manual, for the rules contained in paragraphs 237, 238, 239 and 247 set out in column I below, the rules as set out in column II shall be substituted, namely:

237. **Life sentences.**—Life sentence shall be reckoned as twenty years vide paragraph 170(*e*).	237. *Deleted.*
238. **Convicts undergoing several sentences.**—(*a*) For the purpose of calculating the date on which the case of a convict with two or more life sentences would be considered by the revising board, such sentences shall be treated as concurrent and his case shall be due for consideration by the board when he has served half of the sentence, if he is a casual, or two-thirds, if he is an habitual convicts. (*b*) The case of a convict with a life sentence and a sentence for a definite term whether the two sentences are concurrent or consecutive shall be considered by the revising board when he has served half of the life sentence, if he is a casual or two-thirds, if he is a habitual convict. (*c*) In case of several sentences of imprisonment for definite terms, if the sentences are concurrent, they shall be treated as one sentence for the period of the longest of such sentences. But if the sentences are consecutive, the total of all such sentences shall be taken into consideration for fixing the date for revising board subject to the condition that if the total period, which a convict has to serve in respect of two more consecutive sentences, exceeds twenty years, the case of a casual convict shall be referred to the revising board after he has served ten years, and that of an habitual convict after he has served thirteen years and four months.	238. In case of several sentences of imprisonment for definite terms, if the sentences are concurrent, they shall be treated as one sentence for the period of the longest of such sentences. But if the sentences are consecutive, the total of all such sentences shall be taken into consideration for fixing the date for revising board subject to the condition that if the total period, which a convict has to serve in respect of two more consecutive sentences, exceeds twenty years, the case of a casual convict shall be referred to the revising board after he has served ten years, and that of an habitual convict after he has served thirteen years and four months.
239. **Concessions not to apply in certain classes of prisoners.**—The following classes of prisoners shall not be allowed the benefit of these concessions : (1) internees and other prisoners detained without trial ; (2) convicts imprisoned for offences under section 2 of the Frontier Murderous Outrages Regulation, 1901 (Regulation IV of 1901) ;	239. **Concessions not to apply in certain classes of prisoners.**—The following classes of prisoners shall not be allowed the benefit of these concessions : (1) internees and other prisoners detained without trial. (2) convicts imprisoned for offences under section 2 of the Frontier Murderous Outrages Regulation, 1901 (Regulation IV of 1901) ;

COLUMN I *Existing rule*	COLUMN II *Rules as hereby substituted*
(3) convicts who have been released conditionally under section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973, or on Licence under the Prisoners' Release on Probation Act, 1938 (U. P. Act VIII of 1938);	(3) convicts who have been released conditionally under section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973, or on licence under the Prisoners' Release on Probation Act, 1938 (U.P. Act no. VIII of 1938) ; or who have applied for release under the Prisioners Release on Probation Act, 1938.
(4) convicts who have been re-admitted to jail on revocation of their licence under section 6 of the U. P. Prisoners' Release on Probation Act, 1938 or for having violated any of the conditions of their release ordered under section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973.	(4) convicts who have been re-admitted to jail on revocation of their licence under section 6 of the U. P. Prisoners' Release on Probation Act, 1938 or for having violated any of the conditions of their release ordered under section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
247. **Transmission of revision sheets to Government.**—(*a*) The revision sheets of all convicts recommended for release by a revising board shall be forwarded by the Secretary to the Board direct to the State Government. The revision sheets in other cases shall be attached to the conviction warrants of the convicts concerned and in the case of convicts confined in other jails shall be forwarded to those jails to be so attached to their conviction warrants. (*b*) If, in the case of a life convict, the revising board decides not to recommend premature release and the case to which paragraph 202 applies, the revision sheet of the convict shall be forwarded for consideration to the State Government with the decision of the revising board recorded thereon.	247. **Transmission of revision sheets to Government.**—The revision sheets of all convicts recommended for release by a revising board shall be forwarded by the Secretary to the Board direct to the State Government. The revision sheets in other cases shall be attached to the conviction warrants of the convicts concerned and in the case of convicts confined in other jails shall be forwarded to those jails to be so attached to their conviction warrants.

By order,
KARNAIL SINGH,
Sachiv.

27 नवम्बर, 1990 ई0

सं0 3263 बाईस--1-90-261-90--कारागार अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 9, सन् 1894) की धारा 59 के अधीन शक्ति और तदर्थ समर्थकारी अन्य शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, जेल नियम संग्रह, उत्तर प्रदेश, 1964 संस्करण के अध्याय 37 में अधिष्ठान से सम्बन्धित नियमों में संशोधनों की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं --

उत्तर प्रदेश जेल नियम संग्रह (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1990

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जेल नियम संग्रह (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1990 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2—पैरा 977, 978, 979 तथा 979-ए में दिये गये नियमों का संशोधन—उत्तर प्रदेश जेल नियम संग्रह में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये प्रस्तरों 977, 978, 979 और 979-ए के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे--

स्तम्भ–1

वर्तमान नियम

977—बन्दी रक्षकों के लिए मन्डल बन्दी रक्षकों की नियुक्ति तथा नियंत्रण के प्रयोजनों के लिये जेलों को मुख्यालय के रूप में छः केन्द्रीय कारागारों सहित छः मन्डलों में बांटा गया है :–

विभिन्न मण्डलों में आने वाले जेलों के नाम नीचे दिये हैं:—

(1) आगरा मण्डल

केन्द्रीय कारागार, आगरा तथा जिला जेल आगरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, झांसी, मेरठ, मथुरा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर।

(2) इलाहाबाद मण्डल

केन्द्रीय कारागार, इलाहाबाद (नैनी) तथा जिला कारागार बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, एवं सुल्तानपुर ।

(3) बरेली मण्डल

केन्द्रीय कारागार, बरेली, किशोर सदन, बरेली तथा जिला कारागार, अल्मोड़ा, बरेली, बिजनौर, देहरादून, मुरादाबाद, नैनीताल, पौड़ी, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर ।

(4) वाराणसी मण्डल

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी तथा जिला कारागार, बस्ती, आजमगढ़ , बलिया , वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर एवं मिर्जापुर ।

(5) फतेहगढ़ मण्डल

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ तथा जिला कारागार, बदायूं, कानपुर, एटा, इटावा, फतेहगढ़, हरदोई, मनपुरी एवं उरई ।

(6) लखनऊ मण्डल

आदर्श कारागार, लखनऊ तथा जिला कारागार, बाराबंकी, बहराइच, फैजाबाद, गोन्डा, खीरी, लखनऊ, सीतापुर एवं उन्नाव ।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

977—बन्दी रक्षकों के लिए मण्डल बन्दी रक्षकों की नियुक्ति तथा नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए जेलों को निम्न ग्यारह मण्डलों में बांटा गया है :—

(1) आगरा मण्डल

केन्द्रीय कारागार, आगरा तथा जिला कारागार, आगरा, अलीगढ़, एटा, मनपुरी तथा मथुरा ।

(2) इलाहाबाद मण्डल

केन्द्रीय कारागार, इलाहाबाद (नैनी) तथा जिला कारागार, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ ।

(3) बरेली मण्डल

केन्द्रीय कारागार, बरेली, किशोर सदन, बरेली, संपूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, जनपद नैनीताल तथा जिला कारगार बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं उप कारागार, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल ।

(4) वाराणसी मण्डल

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी, संपूर्णानन्द शिविर, धुमा (सोनभद्र) तथा जिला कारागार, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया एवं उप कारागार, ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी ।

(5) कानपुर मण्डल

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ तथा जिला कारागार, कानपुर, इटावा तथा फतेहगढ़ ।

(6) लखनऊ मण्डल

आदर्श कारागार, लखनऊ तथा जिला कारागार, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर एवं खीरी ।

(7) गोरखपुर मण्डल

जिला कारागार, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती एवं देवरिया ।

(8) फैजाबाद मण्डल

जिला कारागार, फैजाबाद, बहराइच, गोण्डा, बाराबंकी एवं सुल्तानपुर ।

(9) मुरादाबाद मण्डल

जिला कारागार, मुरादाबाद, रामपुर , बिजनौर, देहरादून एवं टेहरी ।

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(10) मेरठ मण्डल जिला कारागार, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं उप-कारागार, रुड़की, जनपद हरिद्वार एवं देवबन्द, जनपद सहारनपुर। (11) झांसी मण्डल जिला कारागार, झांसी, ललितपुर, उरई, हमीरपुर, बांदा तथा उप-कारागार, महोबा, जनपद हमीरपुर।
978—अप्रेन्टिसों तथा बन्दीरक्षकों का प्रशिक्षण केन्द्रीय कारागार का अधीक्षक यह देखेगा कि समस्त अप्रेन्टिसों और नए बन्दीरक्षकों को स्क्वाड और कम्पनी अभ्यास में शिक्षण दिया जाय तथा वे हथियारों के उपयोग से परिचित हों और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के संबंध में समस्त नियमों और आदेशों की जानकारी रखते हों। अधीक्षक शिक्षण का एक नियमित कार्यक्रम तैयार करेंगे जो जेल के आरक्षित प्रधान बन्दी रक्षक या मुख्य प्रधान बन्दी रक्षक के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जायेगा।	अप्रेन्टिसों तथा बन्दी रक्षकों का प्रशिक्षण प्रत्येक संबंधित मण्डल का प्रभारी अधीक्षक श्रेणी-1 यह देखेगा कि समस्त अप्रेन्टिसों और नये बन्दीरक्षक को स्क्वाड और कम्पनी अभ्यास में शिक्षण दिया जाय तथा वे हथियारों के उपयोग से परिचित हों और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के संबंध में समस्त नियमों और आदेशों की जानकारी रखते हों। वह शिक्षण का एक नियमित कार्यक्रम तैयार करेगा, जो जेल के आरक्षित प्रधान बन्दी रक्षक या मुख्य प्रधान बन्दीरक्षक के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जायेगा।
979—बन्दीरक्षकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा पदोन्नति (क) महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक केन्द्रीय कारागार का अधीक्षक अपने मण्डल में बन्दी रक्षकों तथा प्रधान बन्दीरक्षकों की नियुक्ति और स्थानान्तरण करेगा। प्रधान बन्दीरक्षक के पद पर नियुक्ति नियमतः बन्दीरक्षकों में से पदक्रम सूची में ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी किसी बन्दीरक्षक की ज्येष्ठता के अतिरिक्त अन्यथा प्रधान बन्दीरक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने की दशा में अधीक्षक उन परिस्थितियों की सूचना महानिरीक्षक को देगा। (ख) केन्द्रीय कारागारों में मुख्य प्रधान बन्दीरक्षक के पद चयन पद (सेलेक्शन पोस्ट) घोषित किये गये हैं। इन पदों पर नियुक्ति संबंधित केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक द्वारा उसके मण्डल में जेल से सम्बद्ध प्रधान बन्दीरक्षकों में से की जायेगी।	979—बन्दीरक्षकों का स्थानान्तरण महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण के अधीन प्रत्येक संबंधित मण्डल का प्रभारी अधीक्षक श्रेणी-1 अपने मण्डल में बन्दीरक्षकों तथा मुख्य बन्दीरक्षकों का स्थानान्तरण करेगा।
979 (क)—कोई व्यक्ति जिसने हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण न की हो, बन्दीरक्षक पद पर नियुक्त न किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार जनहित में किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के लिये उपरोक्त शैक्षिक योग्यता समाप्त या शिथिल कर सकती है।	979-(क)—हटा दिया गया।

आज्ञा से,
कर्मवीर सिंह,
सचिव।

कृषि विभाग

13 नवम्बर 1990 ई०

सं० 3842/बारह-9—1799(50)-88—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सबार्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विस रूल्स में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश सबार्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विस (संशोधन) रूल्स, 1990

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सबार्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विस (संशोधन) रूल्स, 1990 कही जायेगी।

(2) यह 1 नवम्बर, 1964 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी।

2—नियम 10 का संशोधन—सबार्डिनेट एग्रीकल्चर सर्विस रूल्स, नियम 10 में, अर्हता की सारिणी में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये क्रमांक 6-ए पर वर्तमान मद के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गयी मद स्तम्भवार रख दी जायगी :

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो	
वर्तमान मद	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मद	
1	2	3
6-ए	ग्रुप	सेक्शन 'बी'-इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी विद्यालय का डिप्लोमा या भूमि संरक्षण प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रहमान खेड़ा, लखनऊ का अवर अभियन्ता, कृषि से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रमाण-पत्र।

आज्ञा से,
एम० रंजन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 8842/XII-9—1799(50)-88, dated November 13, 1990:

No. 3842/XII-9—1799(50)-88

November 13, 1990

In exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Subordinate Agriculture Service Rules.

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE AGRICULTURE SERVICE (AMENDMENT) RULES, 1990.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Subordinate Agriculture Service (Amendmet) Rules, 1990.

(2) They shall be deemed to have come into force on November 1, 1964.

2. Amendment of rule 10.—In the Subordinate Agriculture Service Rules, in rule 10, in the table of qualifications, for the existing item at serial 6-A set out in column I below, the item as set out in column II shall be columnwise substituted:

Colomn I *Existing items*				Colomn II *Items as hereby substituted*			
1	2	3	4	1	2	3	4
		Section B Engineering				*Section B-Engineering*	
6-A	Group IV.	Diploma of a recognised technical school in the Uttar Pradesh, practical experience in an engineering firm or factory in the erection and maintenance of steam engines or electric motors.		6-A	Group IV.	Diploma of a recognised technical school in the Uttar Pradesh of Agriculture Overseer Training Course Certificate of the Soil Conservation Research Demonstration and Training Centre, Rehmankhera, Lucknow.	

By order,
M. RANJAN,
Sachiv.

कार्यालय, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली

15 नवम्बर, 1990 ई०

सं० 7821/स्था० प्र० (9)-90-91—अस्थायी व्यवस्था में कार्यरत निम्नलिखित तदर्थ खण्ड विकास अधिकारियों को दिनांक 17 नवम्बर, 1990 से उनके मूलपद पर जो उनके नाम के सम्मुख अंकित है एतद्द्वारा प्रत्यावर्तित किया जाता है :

नाम तथा विकासखण्ड जिसमें इस समय कार्यरत है	प्रत्यावर्तित पद नाम
1	2
1—श्री जोगेन्द्र पाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, अम्बियापुर (बदायूं)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
2—श्री हरिश्चन्द्र सक्सेना, खण्ड विकास अधिकारी, इस्लामनगर (बदायूं)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
3—श्री किशन लाल, खण्ड विकास अधिकारी, सालारपुर (बदायूं)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
4—श्री देवी दास गंगवार, खण्ड विकास अधिकारी, समरेर (बदायूं)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
5—श्री विश्वनाथ वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, दातागंज (बदायूं)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
6—श्री युगल किशोर दीक्षित, खण्ड विकास अधिकारी, कांट (शाहजहांपुर)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
7—श्री एस० एन० शुक्ला, खण्ड विकास अधिकारी, मरौरी (पीलीभीत)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
8—श्री के० पी० एस० राठौर खण्ड विकास अधिकारी, पूरनपुर (पीलीभीत)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
9—श्री एस० पी० प्रदीप, खण्ड विकास अधिकारी, पीलीभीत (पीलीभीत)	सहायक विकास अधिकारी (पं०)।
10—श्री डी० पी० सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, म्याऊ (बदायूं)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
11—श्री महीपाल सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, उसावां (बदायूं)	सहायक विकास अधिकारी (सां०)।
12—श्री लज्जा राम आर्य, खण्ड विकास अधिकारी, बहेड़ी (बरेली)	वरिष्ठ प्रशिक्षक (पंचायत) क्षे० प्रा० वि० सं०, आसफपुर (बदायूं)।
13—श्री कृपालसिंह, खण्ड विकास अधिकारी, भुता (बरेली)	सहायक विकास अधिकारी (कृषि)।

डी० पी० सिंह,
आयुक्त।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उ० प्र० लखनऊ

22 अक्तूबर, 1990 ई०

सं० 8128/ई-10-09-स्था० व० नो०-90—मैं, अशोक कुमार, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ निम्नलिखित क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन अधिकारियों को उनके सम्मुख उल्लिखित जनपदों के ऐसे सेवायोजकों को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के लिये प्राधिकृत करता हूं, जिन्होंने सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम, 1959 एवं तदान्तर्गत सृजित सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) नियमावली, 1960 की विभिन्न धाराओं/नियमों का अतिक्रमण किया हो :

क्रम-संख्या	अधिकारी	जनपद
1	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, मेरठ	मेरठ।
2	जिला सेवायोजन अधिकारी, गाजियाबाद	गाजियाबाद।
3	जिला सेवायोजन अधिकारी, बुलन्दशहर	बुलन्दशहर।
4	जिला सेवायोजन अधिकारी, मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर।
5	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, मुरादाबाद	मुरादाबाद।
6	जिला सेवायोजन अधिकारी, बिजनौर	बिजनौर।
7	जिला सेवायोजन अधिकारी, रामपुर	रामपुर।
8	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, बरेली	बरेली।
9	जिला सेवायोजन अधिकारी, बदायूं	बदायूं।
10	जिला सेवायोजन अधिकारी, पीलीभीत	पीलीभीत।
11	जिला सेवायोजन अधिकारी, शाहजहांपुर	शाहजहांपुर।

2—यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

अशोक कुमार,
निदेशक।

कार्यालय प्रशासनिक अकादमी उत्तर प्रदेश, नैनीताल

21 नवम्बर, 1990 ई०

सं० 5161 प्रशि०-15(90)--उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी द्वारा वर्ष 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की विभागीय परीक्षा, दिनांक 23 जुलाई, 1990 से 27 जुलाई, 1990 तक की अवधि में ली गई, जिनमें उन्हें उनके नाम के सम्मुख लिखे गये विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :

क्रम संख्या	नाम प्रशिक्षार्थी	विषय
1	कु0 मोनिका सहगल	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।
2	श्रीमती अराधना शुक्ला	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।
3	कु0 डिम्पुल वर्मा	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।
4	अमित मोहन प्रसाद	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।
5	प्रशान्त त्रिवेदी	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।
6	संजय भूसरेड्डी	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।
7	मनोज सिंह	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।
8	देवेश चतुर्वेदी	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।
9	सुरेश चन्द्र	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।
10	शशि प्रकाश गोयल	क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य ।

विषय--

क--लेखा प्रशासन ।

ख--प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेखन ।

ग--हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन ।

घ--राजस्व नियम एवं नियमावली ।

ङ--सूचन विशेष अधिनियम ।

च--लोक प्रशासन ।

छ--राजस्व मामलों में निर्णय लेखन ।

ज--भू-मापन व भूलेख ।

झ--नियोजन-विकास ।

य--कृषि ढांचा व ग्राम्य विकास ।

[illegible] गोयल,
निदेशक ।

कार्यालय, निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

23 नवम्बर, 1990 ई०

सं० प्रौ० शि० सेवा--1-35030-43-47-9(30)-90-91--श्री भैरव दत्त गुररानी, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, वेतनक्रम रु0 3000-100-3500-125-4500 को दिनांक 22 अक्तूबर, 1990 से 31 अक्तूबर, 1990 तक (10 दिन) का अर्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है :

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-दो, भाग-दो से चार के मूल नियम 26-बी (1) के अन्तर्गत प्रमाणित किया जाता है कि श्री भैरव दत्त गुररानी, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल उक्त अवकाश पर यदि न जाते तो वह अपने पद पर निरन्तर कार्यरत रहते।

2--श्री भैरव दत्त गुररानी, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल वेतनक्रम रु0 3000-100-3500-125-4500 को राजाज्ञा संख्या सामान्य-4-488/दस-200-88, दिनांक 25 अगस्त, 1989 के अन्तर्गत दिनांक 1 अक्तूबर, 1990 को अभ्यर्पित 15 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त स्वीकृत अर्जित अवकाश के पश्चात् श्री भैरव दत्त गुररानी के अवकाश लेखा में 60 दिन से अधिक का अर्जित अवकाश शेष है ।

26 नवम्बर, 1990 ई०

सं० प्रौ० शि०/सेवा-1-35562-66--47-9(33)-90-91--श्री राम रतन भास्कर, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, गोण्डा वेतनक्रम रु0 3000-100-3500-125-4500 को दिनांक 4 अगस्त, 1990 से 25 अगस्त, 1990 तक (22 दिन) का अर्जित अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है तथा साथ ही अन्त में दिनांक 26 अगस्त, 1990 को पड़ने वाले राजपत्रित अवकाश के उपभोग की भी अनुमति प्रदान की जाती है ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-दो से चार के मूल नियम 26-बी (1) के अन्तर्गत प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम रतन भास्कर, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद उक्त अवकाश पर यदि न जाते तो वह अपने पद पर निरन्तर कार्यरत रहते।

डा0 कृष्णावतार पाण्डेय,
निदेशक ।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बिजनौर

23 नवम्बर, 1990 ई०

सं० 818/पी-2 (11)--यू० आर० एम०-8372-(मोटर कार)-90--वाहन संख्या यू० आर० एम०-8372 (मोटरकार) [illegible] स० [illegible] ([illegible]), [illegible] 31 [illegible], 1990 को किराये की सवारी ढोने [illegible] में लिया गया । स्वामी को नियमानुसार किराये की सवारी ढोने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया । वाहन स्वामी [illegible] में उपस्थित हुआ और यह सूचित किया कि वह [illegible] है कि वाहन किराये की सवारी ढो रहा था । [illegible] अधिकारी ने [illegible] सवारी के बयान लिये हैं ।

अतः मैं, लक्ष्मीकान्त मिश्रा, पंजीयन अधिकारी, बिजनौर वाहन स्वामी के स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हूं तथा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 के प्रयोग [illegible] अधिकारों का प्रयोग [illegible]